



78
क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G0418/0A10-664/2023/2024

दिनांक:-

Date: 30/04/2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- Submission of status report in pursuant to order dated 12.03.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 664/2023, Ankur Verma Versus State of Uttar Pradesh & Ors.

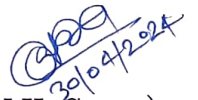
Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 11.01.2024 in the matter of O.A. No. 664/2023, Ankur Verma Versus State of Uttar Pradesh & Ors., the Joint Committee report has filed by UPPCB vide letter dated 04.03.2024. Additional information in addition to Joint committee report had been filed by UPPCB. Further, Any presentation regarding shifting of the Industry was not received in this office. In compliance of Hon'ble NGT order dated 12.03.2024, this status report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid status report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,


(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.

Copy to:-

1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Regional Officer
Sonbhadra.



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G0243/OA-664/2023/2024

दिनांक:-

Date: 07.03.2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- Submission of additional information with respect to to Joint Committee report in pursuant to order dated 11.01.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 664/2023, Ankur Verma Versus State of Uttar Pradesh & Ors.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 11.01.2024 in the matter of O.A. No. 664/2023, Ankur Verma Versus State of Uttar Pradesh & Ors., the Joint Committee report has filed by UPPCB vide letter dated 04.03.2024. Additional information in addition to Joint committee report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid information may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

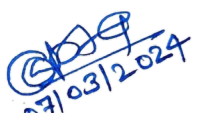
Yours faithfully,

(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.

Copy to:-

1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

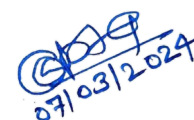

Regional Officer
Sonbhadra.

Additional information in pursuant to order dated 11.01.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 664/2023, Ankur Verma versus State of Uttar Pradesh & Ors.

1. That Hon'ble NGT has constituted a joint committee vide its Order dated 11.01.2024 in Original Application No. 664/2023, Ankur Verma Versus State of Uttar Pradesh & Ors. and directed joint committee for verifying the factual position and suggests appropriate remedial action.
2. That in compliance of direction passed by Hon'ble NGT vide its order dated 11.01.2024, the report of Joint Committee Report has been filed by U.P. Pollution Control Board vide ref. no G0232/OA-664/2023-2024 dated- 04.03.2024.
3. In order to ensure the compliance of closure order issued by UPPCB vide letter dated 04.03.2024, the joint committee was constituted by District Magistrate, Mirzapur vide reference No. G0234/O.A. No. 664/2023 dated 05.03.2024(Annexure-1). The Joint committee visited the site on dated 06.03.2024 and sealed the said industry namely M/s Rishabh Tradres, Kadamtar, Mirzapur. Compliance report of closure order along with photographs is being attached herewith as marked as Annexure-2.

The above additional information in pursuant to submitted Joint Committee Report dated 04.03.2024 is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 07.03.2024



(U.K. Gupta)

Regional Officer

U.P.Pollution Control Board,
Sonbhadra.

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर

पत्रांक— G0234/O.A. No. 664/2023

दिनांक— 05/03/2024

आदेश

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या—664/2023 अंकुर वर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स रिषभ ट्रेडर्स, मीर साहब की गली, कदमतार, मीरजापुर के विरुद्ध उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के संदर्भ संख्या—H07865/सी-2/वायु-538/मिर्जापुर/24 दिनांक—04.03.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में उद्योग की बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1. नगर मजिस्ट्रेट, मीरजापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
3. क्षेत्राधिकारी (पुलिस), सदर, मीरजापुर।

उपरोक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में आच्छादित मेसर्स रिषभ ट्रेडर्स, मीर साहब की गली, कदमतार, मीरजापुर की बन्दी सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र के माध्यम से राज्य बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित करें एवं तत्सूचना से अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक:-

प्रतिलिपि:- समस्त सदस्यों को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

4c

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-664/2023 अंकुर वर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में आच्छादित मेसर्स रिषभ ट्रेडर्स, मीर साहेब की गली, कदमतार, मीरजापुर के विरुद्ध उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या:-

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-664/2023 अंकुर वर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में आच्छादित मेसर्स रिषभ ट्रेडर्स, मीर साहेब की गली, कदमतार, मीरजापुर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संदर्भ संख्या-H-07865/C-2/Vaayu-538/मिर्जापुर/24 दिनांक-04.03.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी०२३४/ओ०ए० संख्या-664/2023 दिनांक-05.03.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-06.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के संचालन को निषेध कर उद्योग की मशीनरी यथा-भट्ठी एवं घिसाई मशीन कक्ष को सील/सीज्ड किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।

06/03/24
के० के० मैया
वैज्ञानिक सहायक
(U.P.P.C.B, Sonbhadra)

06/03/24

06-03-24
नगर मजिस्ट्रेट
मिर्जापुर

जयप्रकाश कौशरा 9044750447

गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

क्र०सं०	नाम	हस्ताक्षर
1.		
2.		
3.		

Photograph of sealing proceedings of
M/s Rishabh Tradres, Kadamtar, Mirzapur.





क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G0232/OANo.664/2023-24

दिनांक:-

Date: 04/03/2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- Submission of Joint Committee report in pursuant to order dated 11.01.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 664/2023, Ankur Verma Versus State of Uttar Pradesh & Ors.

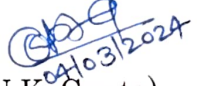
Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 11.01.2024 in the matter of O.A. No. 664/2023, Ankur Verma Versus State of Uttar Pradesh & Ors., the Joint Committee report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid Joint Committee report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,


(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.

Copy to:-

1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.
5. Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mirzapur.

Regional Officer
Sonbhadra.

Joint Committee Report in pursuant to order dated 11.01.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 664/2023, Ankur Verma versus State of Uttar Pradesh & Ors.

1. That Hon'ble NGT has constituted a joint committee vide its Order dated 11.01.2024 in Original Application No. 664/2023, Ankur Verma Versus State of Uttar Pradesh & Ors. and directed joint committee for verifying the factual position and suggests appropriate remedial action. The operative part of the order is reproduced as below: -

"...3. In view of the facts and circumstances of the case we consider it necessary to have the response from (1) State of Uttar Pradesh, through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh (2) Executive Officer, Municipal Council, Mirzapur, (3) District Magistrate, Mirzapur and (4) UPPCB, through its Member Secretary who stand impleaded as respondents No. 1 to 4. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application. Notices be issued to respondents no. 1 to 4 requiring them to file their reply/response to the averments made in the application within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual



position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and the District Magistrate, Mirzapur and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

5. Factual and Action taken Report may be submitted within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. List for further consideration on 12.03.2024.....”

2. That in compliance of Hon'ble NGT directions, following members have been nominated by the concerned departments: -
 - a. Shri Shiv Pratap Shukla, ADM (F/R), Mirzapur.
 - b. Shri U.K. Gupta, Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra.
3. That the Committee members discussed and decided a date for carrying out field visit. The joint committee conducted the site visit on dated 28.02.2024 of M/s Rishabh Traders, Meer Saheb Ki Gali, Kadamtar, Mirzapur for reviewing the factual status of the grievances made by the complainant/ applicant.

4. That the following issues were raised by the applicant in his application:-

".....complaining about illegal operation of a Metal melting furnace, factory and production unit behind his residential house at Mohalla Kadamtar ki Gali, Thana Kotwali City, District Mirzapur emitting toxic and black smoke particles, making intolerable noise and causing air pollution resulting in damage to environment and posing serious health hazards to local residents. The applicant has sought issuance of directions to the Project Proponent for relocation of the Industry to conforming area....."

5. Field Observations of the committee:

- I. M/s Rishabh Traders was found situated near residential house of the applicant. The unit is engaged in production of brass pot as main product using brass scraps as raw material. The information about production capacity of brass pot was not provided by the representative of the unit.
- II. At the time of visit, Shri Rishabh Kasera Son of Shri Krishan Chandra was present as proprietor of the unit and Shri Ankur verma was present as complainant. The unit representative informed that pit furnace is not operated. Only job work of finishing of raw brass pots is done on the market demand.



- III. During visit by joint committee the unit was found operational. However, the process of melting process of brass scrap was found stopped on the day of site visit.
- IV. The unit has installed one pit furnace as major air pollution source and coal is used as fuel in pit furnace. This pit furnace is used for melting of brass scraps. The unit has not provided any pollution control measures to control the emission emitted by furnace.
- V. Photographs are as follows:-





- VI. The monitoring of gaseous emission could not be done due to non-operation of pit furnace i. e. melting process of brass scraps at the time of visit. The unit will emit gaseous emission into surrounding atmosphere whenever it is operated as it has not provided any air pollution control system.
- VII. The unit has not obtained 'Consent to Operate' (CTO) form UPPCB. The unit is being operated without obtaining CTO in residential area without proper land use conversion. The record about land use was not produced by the unit.
6. That it is submitted that Regional Officer, UPPCB Sonbhadra has directed M/s Rishabh Traders, Meer Saheb Ki Gali, Kadamtar, Mirzapur for providing information vide letter no. G0214/OA-664/2023/2024 Dated-29.02.2024 with copy to Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mirzapur for providing the information about the land use of the said unit. The copy of letter dated 29.02.2024 is attached herewith and marked as Annexure No.-1.

7. That it is submitted that Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mirzapur vide their reply dated 01.03.2024 has informed that the house of the unit is registered as residential in tax records and the house number-288 of ward number-05 is registered in the name of Shri Krishna Chand S/o Lt. Shri Chand. The reply of Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mirzapur is attached herewith and marked as Annexure No.-2.
8. That the unit vide its reply as notarized affidavit dated 02.03.2024, has also informed that pit furnace is not operated. Only job work of finishing of brass pots is being done as per demand. Applicant Shri Ankur verma is cousin brother of the unit proprietor and complaint is done by him due to family dispute. The copy of notarized affidavit dated 02.03.2024 is attached herewith and marked as Annexure No.-3.
9. That UPPCB has issued closure order against the unit under the section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (As amended) vide letter Dated-04.03.2024 as per recommendation made by Regional Officer, Sonbhadra sent vide letter dated-01.03.2024. The copies of letter dated 01.03.2024 and 04.03.2024 are attached herewith and marked as Annexures No.-4 and 5.
10. That UPPCB head-quarter, Lucknow vide its reference no H35723/C-4/OA No. 64/2016 letter dated 10.05.2019 has issued direction for complying of



order dated 28.11.2016 passed by the Hon'ble NGT in the matter of OA No 64/2016 Gopeshwar Nath Chaturvedi versus U.P. Pollution Control Board and Ors. The copies of letter dated 10.05.2019 and order dated 28.11.2016 are attached herewith and marked as Annexure No.-6 & 7. The operative part of the order is reproduced as below: -

"...8. In view of the above, we pass the following orders:

(v) If unit which is operating in the residential area, the Administration may dis-mantle the tank and machinery may be removed....."

In pursuant to direction issued from UPPCB head-quarter vide its letter dated 10.05.2019, Regional officer, UPPCB, Sonbhadra has requested to Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mirzapur for shifting of the said unit namely M/s Rishabh Tradres from residential area vide reference no G0219/OA-664/2023/2024 dated 01.03.2024 (Annexure No.-8).

Conclusion/Suggestions:

The Unit namely M/s Rishabh traders is situated in residential area. The unit is engaged in production of brass pots. During visit by joint committee the finishing work of raw brass pots was found in the unit. The process of melting of brass scrap was found stopped on the day of site visit. Due to closed operation of pit furnace, the monitoring of gaseous emission could not be done at the time of visit. The unit has not installed any pollution control system in the pit furnace. The

unit has not obtained 'Consent to Operate' (CTO) form UPPCB. Therefore, the following steps should be taken by concerning department:-

- I. UPPCB and District Administration must ensure compliance of the closure order issued by UPPCB under the under section 31-A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended).
- II. The Unit should not operate as per given statement in the notarized affidavit dated 02.03.2024.
- III. Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mirzapur should initiate proceedings for shifting of the said unit namely M/s Rishabh Tradres from residential area in pursuant to order dated 28.11.2016 passed by the Hon'ble NGT in the matter of OA No 64/2016 Gopeshwar Nath Chaturvedi versus U.P. Pollution Control Board and Ors. and direction issued by UPPCB vide its letter dated 10.05.2019.

The above Joint Committee Report is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

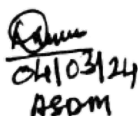


(U.K. Gupta)

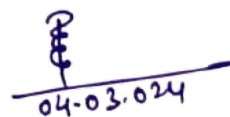
Regional Officer

U.P.P.C.B.,

Sonbhadra.



ADM



(Shiv Pratap Shukla)

ADM (F/R)

Mirzapur.



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

Annexure-1



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G-0214/OA-664/2023/2024

दिनांक:-

Date: 29/02/2024

सेवा में,

M/s. Rishabh Traders,
Kadamtar, Meer Saheb Ki Gali,
District-Mirzapur.

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-664/2023 अंकुर वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-11.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-664/2023 अंकुर वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-11.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं:-

"4. we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and the District Magistrate, Mirzapur and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

5. Factual and Action taken Report may be submitted within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. List for further consideration on 12.03.2024....."

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.02.2024 को किया गया। मौके पर आप द्वारा निम्न सूचनायें प्रस्तुत नहीं की गयी:-

1. भू-स्वामित्व एवं भू-प्रयोजन से सम्बन्धित अभिलेख।
2. उद्योग आधार/पंजियन से सम्बन्धित अभिलेख।
3. विद्युत संयोजन की प्रकृति से सम्बन्धित अभिलेख।
4. उद्योग स्वामी का पहचान-पत्र/आधार कार्ड सम्बन्धित अभिलेख और उद्योग स्थल पर निर्माण भवन का स्थानीय निकाय/प्राधिकरण से स्वीकृत मैप।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त वर्णित सूचनायें/अभिलेख लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे Factual Report मा० अधिकरण को प्रस्तुत की जा सके। निर्धारित अवधि में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों के आधार पर आख्या प्रेषित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय,

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद मीरजापुर, जनपद-मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त फर्म के भवन/स्थल का स्वीकृत मानचित्र विलम्बतम् 03 दिवस में प्रेषित करना चाहें।
2. उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, जनपद-मीरजापुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त फर्म के पंजियन से सम्बन्धित सूचना 03 दिवस के अन्तर्गत प्रेषित करना चाहें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(यू०के० गुप्ता)

क्षेत्रीय अधिकारी

वृत्त

क्षेत्रीय अधिकारी

वृत्त

कार्यालय नगर पालिका परिषद मीरजापुर।
Annexure-3 (Paess-47)

पत्रांक— ४४१ / वि०रा० / 2023-24

दिनांक— ०१ / 03 / 2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश, प्रदुषण नियंत्रण ईकाइ

सोनभद्र,

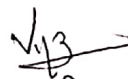
विषय:— मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ०ए० संख्या 664 / 2023 अंकुर
वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024
के अनुपालन के सम्बन्ध में।

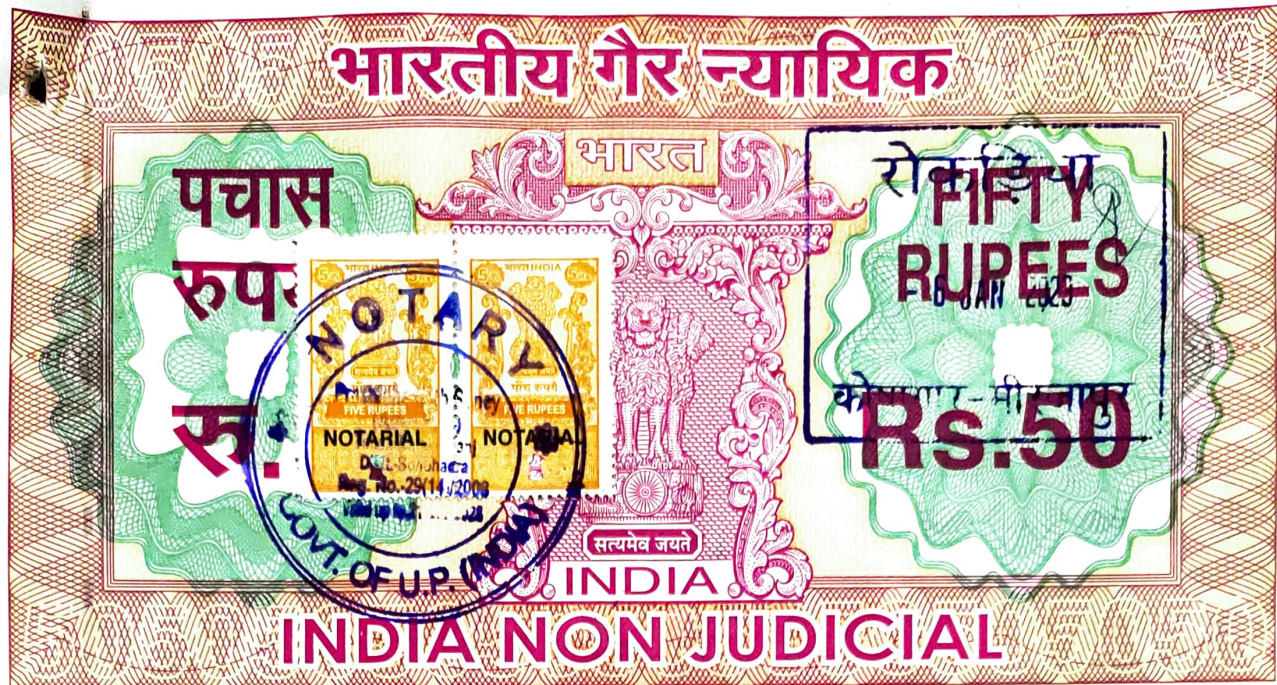
महोदय,

कृपया आपके कार्यालय पत्रांक G-0214/OA-664/2023/2024 दिनांक
29.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित विषयक में उपरोक्त
फर्म के भवन/स्थल का स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने को
निर्देश दिया गया है।

कृपया विषयांकित सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वार्ड सं० 5 भवन सं० 288
पर श्री कृष्ण चन्द पुत्र स्व० श्रीचन्द का नाम नगर पालिका के कर अभिलेख में
अंकित है। भवन आवासीय के रूप में कर अभिलेख में अंकित है। भवन का
मानचित्र नगर पालिका द्वारा नहीं बल्कि विकास प्राधिकरण मीरजापुर से किया
जाता है।

अतः आपके सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मीरजापुर।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 673337

2 Tickets Rs. 100/-
(P.M. SOLEY)
Adv. NOTARY
Rohatganj-Sambhadra

सेवा में,

समक्ष क्षेत्रीय अधिकारी

उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, सोनभद्र

विषय:- अंकुर वर्मा पुत्र विष्णु चन्द कदमतार, साहब की गली, मीरजापुर द्वारा की गयी शिकायत को निरस्त किये जाने के संदर्भ में।

महोदय,

मैं ऋषभ कसेरा पुत्र श्री कृष्ण चन्द कसेरा मोहल्ला कदमतार, मीर साहब की गली पो०-सदर थाना-शहर कोतवाली तहसील सदर जिला मीरजापुर (उ०प्र०)

1. यह कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हू कि शपथग्राही उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है।
2. यह कि मेरे मकान के अंदर ही 2-3 रुम का स्पेस है जिसमें यदा कदा जाब वर्क (फिनिशिंग) का कार्य आर्डर मिलने पर किया जाता है।
3. यह कि शिकायत कर्ता अंकुर वर्मा हमारे पिता जी के सगे भाई के पुत्र है।
4. यह कि पारिवारिक विवाद के कारण व बंटवारा का विवाद है इसे क्षुब्ध होकर अंकुर वर्मा द्वारा शिकायत की गई है।
5. यह कि मेरे द्वारा भट्टी का संचालित नहीं किया जाता है व न किसी तरह का वायु, ध्वनि प्रदूषण नहीं किया जाता है।
6. यह कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हू कि शपथ पत्र के दफा 1- से 5 तक मजमून सच व सही है। कोई बात छिपायी नहीं गयी है।

अतः उपरोक्त शिकायत निरस्त करने की कृपा करें।

दिनांक:- 02-03-2024

ह० शपथग्राही

ऋषभ कसेरा

9889810222

9044750447

(Signature)
02/03/2024

श्री चन्द कसेरा

① पिछु चन्द

अंकुर पत्नी

② कृष्ण चन्द

ऋषभ कसेरा

③ स्वरूप चन्द

तरंग सिंह (अम्न)

④ श्रीन चन्द

शहब कसेरा

महोदय, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ऋषभ कसेरा S/O श्री कृष्ण चन्द कसेरा

निवासी कदमर, मीर साहब की गली मीरजापुर। प्रार्थी के पिता कृष्ण चन्द मानीसक रूप से कामजोर हैं। कृष्ण चन्द आपस में चार सगे भाई हैं। आपसी बटवारा का वाद-विवाद है। जो कि हमारे पिता जी का सारा सम्पत्ति हड़पना चाहते हैं। दादा जी (श्री चन्द) के मृत्यु के बाद वसीयत मिली है लेकिन हमारे सम्पत्ति पर कब्जा किए हैं व वचने के पिराक में हैं। हमको सम्पत्ति-2 पर किसी न किसी तरीके से परेशान करते रहते हैं हिस्सा व प्रकन, जमीन न दे पड़े कुछ दिन पहले SC/ST में भी कसौती की कोशिश की जिस जो कि गलत था। प्रार्थी पर जॉच हुआ तो गलत ~~कल~~ सुचना था। पिछु चन्द व स्वरूप चन्द भी भड़की व कारखाना चलते हैं। मेरे यहाँ तो भड़की वचों से बन्द हैं उसके बाद भी हमको परेशान किया जा रहा है। हमारे यहाँ जाब पके ह वार्ड-2 होता है प्रॉक्ट से माल आता है उसको बना कर देते हैं जिससे हमारे घर-परिवार का खर्च किसी तरीके से होता है। अंकुर पत्नी के पिता जी जो कि स्वास्थ्य से ठीक हैं और मुकदमा भी किए हैं। माननीय न्यायालय में 324/18 सिविल जज जुं० डि० के यहाँ विचारधीन हैं। 20/03/2024 को तारीख भी है। व स्वरूप चन्द द्वारा मुकदमा नं० 307/18 सिविल जज जुं० डि० के यहाँ विचारधीन हैं। जिसका तारीख 04/04/2024 को है। हिस्सा व बटवारा न करना पड़े व पिता जी की सम्पत्ति पुरा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। वसीयत के अनुसार जहाँ बसे इनको किया गया मिल रहा है वहाँ पर मुकदमा नहीं किए व वसीयत के अनुसार अपनी जमीन बेचकर हमारे हिस्सा कब्जा करने ~~कल~~ चले हैं। जिससे हिस्सा न देना पड़े व परेशान करते चले आ रहे हैं। वसीयत के अनुसार हमको हिस्सा मिलेगा? कदमर मीर साहब की गली में पुर्वजों के समय से कारखाना व बर्तन बनाने का कार्य होता चला आ रहा है जिससे यहाँ का परिवार का पालन-पोषण होता है। पीतल बर्तन में रखना बनाना व रखना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है।

अतः आप श्री मान जी से विनम्र निवेदन है कि

उक्त मामलों की जानकारी को देखते हुए उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। इसके लिए प्रार्थी सदैव आभारी रहेगा।

दिनांक
02/03/2024

प्रार्थी
ऋषभ कसेरा
पुत्र
कृष्ण चन्द कसेरा निवासी
कदमर, मीर साहब की गली
मीरजापुर
Mob. 9044750447



भारत सरकार
Government of India
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises



UDYAM REGISTRATION CERTIFICATE

UDYAM REGISTRATION NUMBER

UDYAM-UP-57-0023073

NAME OF ENTERPRISE

RISHABH TRADERS

TYPE OF ENTERPRISE *

S.No.	Classification Year	Enterprise Type	Classification Date
1	2023-24	Micro	20/02/2024

MAJOR ACTIVITY

MANUFACTURING

SOCIAL CATEGORY OF
ENTREPRENEUR

OBC

NAME OF UNIT(S)

S.No.	Name of Unit(s)
1	RISABH TRADERS

OFFICIAL ADDRESS OF ENTERPRISE

Flat/Door/Block No.	623	Name of Premises/ Building	KADAMTAR MEER SAHAB KI GALI
Village/Town	MIRZAPUR	Block	CITY
Road/Street/Lane	CITY KOTWALI ROAD	City	MIRZAPUR
State	UTTAR PRADESH	District	MIRZAPUR, Pin 231001
Mobile	9044750447	Email:	kasera1992@gmail.com

DATE OF INCORPORATION /
REGISTRATION OF ENTERPRISE

31/08/2017

DATE OF COMMENCEMENT OF
PRODUCTION/BUSINESS

NATIONAL INDUSTRY
CLASSIFICATION CODE(S)

S.No.	NIC 2 Digit	NIC 4 Digit	NIC 5 Digit	Activity
1	32 - Other manufacturing	3290 - Other manufacturing n.e.c.	32909 - Manufacture of other articles n.e.c.	M: manufacturing

DATE OF UDYAM REGISTRATION

20/02/2024

* In case of graduation (upward/reverse) of status of an enterprise, the benefit of the Government Schemes will be availed as per the provisions of Notification No. S.O. 2119(E) dated 26.06.2020 issued by the M/o MSME.

Disclaimer: This is computer generated statement, no signature required. Printed from <https://udyamregistration.gov.in> & Date of printing:- 20/02/2024

For any assistance, you may contact:

1. District Industries Centre: MIRZAPUR (UTTAR PRADESH)

2. MSME-DFO: ALLAHABAD (UTTAR PRADESH)

Visit : www.msme.gov.in ; www.dcmsme.gov.in ; www.champ



Follow us @minmsme & @msmecha



  भारत सरकार Government of India	  भारत सरकार Government of India
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण Unique Identification Authority of India नामांकित प्रमाणपत्र 001 Signature Not Verified आपका आधार Aadhaar No. : मेरा आधार मेरा आधार	सूचना - आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। - सुरक्षित QR कोड / ऑफलाइन XML / ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन से पहचान प्रमाणित करें। - यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है। INFORMATION - Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship. - Verify identity using Secure QR Code/ Offline XML/ Online Authentication. - This is electronically generated letter. - आधार देश भर में मान्य है। - आधार कई सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं को पाना आसान बनाता है। - आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट रखें। - आधार को अपने स्मार्ट फोन पर रखें, mAadhaar App के साथ। - Aadhaar is valid throughout the country. - Aadhaar helps you avail various Government and non-Government services easily. - Keep your mobile number & email ID updated in Aadhaar. - Carry Aadhaar in your smart phone – use mAadhaar App.
  भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण Unique Identification Authority of India पता: संकेत पता: संकेत Issue Date: 30/07/2014 मेरा आधार	  भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण Unique Identification Authority of India पता: संकेत पता: संकेत Issue Date: 30/07/2014 मेरा आधार

RECEIPT NO

287036

FORM NO. 5
RECEIPT

BOOK NO. B

Municipality

Demand Register no

Received from

Rupees (in words)

on account of

premises no.

Mohalla

For the period

in full/part payment of demand bill no.

Rs.

Dated

Cashier

Accountant.

Executive Officer/Secretary

Tax Collector

Clerk-in-charge of Demand
and Collection Register

Tax Superintendent.

S.U.P.-01 Nagar Palika-04-04-2018-10,000 Books (D.T.P./Offset).

Page 1 of 1

Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited

(Regd. Office Shakti Bhawan)
(Temp SDO 4668119), UP, EDD-II
Mirzapur, UPPrinted Date:
13/02/2019

Payment Receipt

Receipt No.	945792633648	Counter No.	46681121
Collection Date	13/02/2019	Counter Name:	Cash Counter For EDD -II Mirzapur-PUVNL
Account No.	9457926000	Tender Control ID	4053189603
Consumer Name	RISABH KASERA	Address	MEER SAHED GALIMIRZA PUR , MIRZAPUR
Cash	Amount:	6133.00	
Total Amount Received: 6133.00			
Received Amount : Six Thousand One Hundred Thirty Three Rupees And Zero Paise Only			

Payment Taken By:

JAIDAYAL : user

Receipt Printed By:

JAIDAYAL : user

UPMI 04 0002822018

92

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू0डि0) मीरजापुर

वाद संख्या 324/14 सन 2018

विष्णु चन्द उम्र लगभग 60 वर्ष पुत्र स्व० श्रीचन्द निवासी मुहल्ला मीरसाहब
की गली पोस्ट सदर तहसील सदर जिला व शहर मीरजापुर।

वादी

बनाम

1. कृष्ण चन्द उम्र लगभग 58 वर्ष
2. स्वरूप चन्द उम्र लगभग 56 वर्ष
3. श्रीचन्द उम्र लगभग 44 वर्ष

पुत्रगण स्व० श्रीचन्द

समस्त निवासीगण मुहल्ला मीरसाहब की गली पोस्ट सदर तहसील सदर
जिला व शहर मीरजापुर।

प्रतिवादीगण

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है:-

दफा :-1 यह कि वादपत्र के अन्त में उल्लिखित सम्पत्ति मद को जो पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 15.06.2006 को वादी प्रतिवादीगण के पिता श्रीचन्द द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के बीच में तहरीर किया गया है।

दफा :-2 यह कि वादी व प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 29.03.2016 को होने के पश्चात् वादी व प्रतिवादीगण ने उक्त वसीयतशुदा सम्पत्ति स्थित मौजा बथुआ तप्पा 84, परगना कंतिट, तहसील सदर जिला मीरजापुर का आपस में बटवारा करके दिनांक 01.03.2017 को याददाश्तनामा तहरीर व तहकीमती करके अपने-अपने दिक्का अंशलि बटवारा एवं अलग-अलग काबिज दखील है।

विष्णु चन्द



- दफा :-3 यह कि याददाश्तनामा दिनांक 01.03.2017 में उल्लिखित सम्पत्ति मद "क" में से वादी को सम्पत्ति मद "ख" व प्रतिवादी संख्या 1 को सम्पत्ति मद "इ" एवं प्रतिवादी संख्या 2 को सम्पत्ति मद "ग" तथा प्रतिवादी संख्या 3 को सम्पत्ति मद "घ" मिला जिसपर वादी व प्रतिवादीगण काबिज दखिल होकर उसका उपयोग व उपभोग अपने-अपने सुविधानुसार कर रहे हैं।
- दफा :-4 यह कि वादपत्र व याददाश्तनामा में उल्लिखित सम्पत्ति जो नगर पालिका परिषद मीरजापुर अन्तर्गत है और वार्ड संख्या 12 में भवन संख्या 1325 पर वादी का नाम अंकित है तथा भवन संख्या 1326 पर प्रतिवादी संख्या 1 भवन संख्या 1324 पर प्रतिवादी संख्या 2 एवं भवन संख्या 1327 पर प्रतिवादी संख्या 3 का नाम अंकित है।
- दफा :-5 यह कि उपरोक्त सभी चारों सम्पत्ति भवन पर वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने सम्पत्ति हिस्सा पर बतौर मालिक काबिज दखिल रहकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं।
- दफा :-6 यह कि वादी की सम्पत्ति भवन संख्या 1325 पर प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की नियत से उसमें निशान लगाकर निर्माण करना चाहते हैं। वादी की सम्पत्ति मद "ख" वादपत्र से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। वादी मद "ख" भवन संख्या 1325 का तनहा मालिक काबिज है। प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार वादी की सम्पत्ति पर नहीं है।
- दफा :-7 यह कि वादी की सम्पत्ति भवन संख्या 1325 वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर स, द, य, र से प्रदर्शित किया गया है व प्रतिवादी संख्या 1 की सम्पत्ति भवन संख्या 1328

विष्णु चन्द

32/9

अक्षर य, र, ल, व एवं प्रतिवादी संख्या 2 की सम्पत्ति भवन संख्या 1324 अक्षर अ, ब, स, द तथा प्रतिवादी संख्या 3 की सम्पत्ति भवन संख्या 1327 अक्षर ल, व, श, ष से प्रदर्शित है।

दफा -8 यह कि प्रतिवादी जबरिया बिना किसी अधिकार के वादी की सम्पत्ति नक्शा नजरी वादपत्र अक्षर स, द, य, र में तथा उसमें स्थित कोठरी अक्षर त, थ, द, घ पर तोड़फोड़ कर कब्जा करने की नियत से दिनांक 26.03.2018 को अपने साथ कुछ मजदूरों को लेकर आये और वादी की सम्पत्ति अक्षर स, द, य, र में निशान लगाकर खनखोद करना चाहे जिस वादी ने रोक दिया उस समय प्रतिवादीगण चले गये लेकिन जाते समय धमकी दिये कि शीघ्र ही अधिक आदमियों के साथ आकर निर्माण करायेगे।

दफा -9 यह कि प्रतिवादीगण की नियत वादी की सम्पत्ति पर नाजायज कब्जा करने की बनी है। वादी सीधा साधा व्यक्ति लडाई झगडा नहीं करना चाहता इसलिए न्यायालय में निवेदाज्ञा वाद प्रस्तुत करके प्रतिवादीगण को उनके नाजायज हरकत को रोकना आवश्यक हो गया।

दफा :-10 यह कि वाद का कारण दिनांक 26.03.2018 को जब प्रतिवादीगण वादी की सम्पत्ति पर चढ़कर आये और निशान लगाकर निर्माण करना चाहे से बमुकाम ~~बमुकाम~~ अन्दर अख्तियार समायत न्यायालय हाजा के उत्पन्न हुई और न्यायालय को मुकदमा के समायत का अधिकार हासिल है।

दफा :-11 यह कि वाद का मूल्यांकन रुपया 3,00,000/- रुपये कायम किया जाता है और इस पर नियमानुसार न्याय शुल्क अदा किया जाता है।

दफा :-12 यह कि वादी निम्नलिखित प्रतिकारो की याचना करता है-

विष्णु चन्द

32
5

- अ. यह कि बजरिए स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिवादीगण को सदैव के लिए मना किया जावे कि वे वादी की सम्पत्ति भवन संख्या 1325 वार्ड संख्या 12 जो वादपत्र के अन्त में मद "ख" से प्रदर्शित किया गया है तथा नक्शा नजरी वादपत्र में अक्षर स, द, य, र एवं उसमें स्थित कोठरी अक्षर त, थ, द, घ से अंकित है में कोई खनखोद न करे न ही कोई निर्माण करे तथा अक्षर त, थ, द, घ कोठरी वादी में अनाधिकार कब्जा दखल न करे न ही कोई तोड़फोड़ करे तथा वादी के कब्जा दखल व निर्माण करने में कोई अवरोध न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही अपने हेली मेली व्यक्तियों या एजेन्टों से करे या करावे।
- ब. यह कि खर्चा मुकदमा की डिकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।
- स. यह कि अलावा या बजाय दादरसी उपरोक्त अन्य जिस किसी दादरसी का मुश्तहक वादी नजदीक राय अदालत पाया जावे उसकी भी डिकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाया जावे।

~~दिनांक~~~~वादी~~**मद क**

सम्पूर्ण जायदाद स्थित ग्राम बथुआ तप्पा 84 परगना कंठित तहसील सदर जिला मीरजापुर।

चौहददी- पूरब- लोहदी महाबीर मार्ग, पश्चिम- जमीन व मकान अन्य, उत्तर- जमीन व मकान अन्य, दक्षिण- जमीन व मकान अन्य

मद ख (वादी)

चौहददी- पूरब- लोहदी महाबीर मार्ग, पश्चिम- जमीन व मकान अन्य, उत्तर- बहिस्सा कृष्णचन्द दक्षिण- बहिस्सा स्वरूपचन्द

मद ग (प्रतिवादी संख्या 2)

चौहददी- पूरब- लोहदी महाबीर मार्ग, पश्चिम- जमीन व मकान अन्य, उत्तर- हिस्सा विष्णुचन्द दक्षिण- जमीन व मकान अन्य

मद घ (नवीन चन्द प्रतिवादी संख्या 3)

चौहददी- पूरब- लोहदी महाबीर मार्ग, पश्चिम- जमीन व मकान अन्य, उत्तर- जमीन व मकान अन्य, दक्षिण- हिस्सा कृष्णचन्द

मद ड. (कृष्ण चन्द प्रतिवादी संख्या 1)

चौहददी- पूरब- लोहदी महाबीर मार्ग, पश्चिम- जमीन व मकान अन्य, उत्तर- हिस्सा नवीनचन्द दक्षिण- हिस्सा विष्णुचन्द

दिनांक - 30-08-2018

सत्यापन

वादी विष्णु चन्द

हम वादी प्रमाणित करता हूँ कि वाद पत्र के कुल मजमून दफा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 व 11 मेरी व्यक्तिगत जानकारी व विश्वास में सच व सही है। कोई बात झूठ या छिपायी नहीं गयी है। लिखा मुकाम दीवानी कचहरी मीरजापुर।

दिनांक:- 30-03-2018

वादी

विष्णु चन्द

MA R 2018
30-08-2018
दिनांक

७३/६

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू०डि०) मीरजापुर

वाद संख्या

सन २०१८

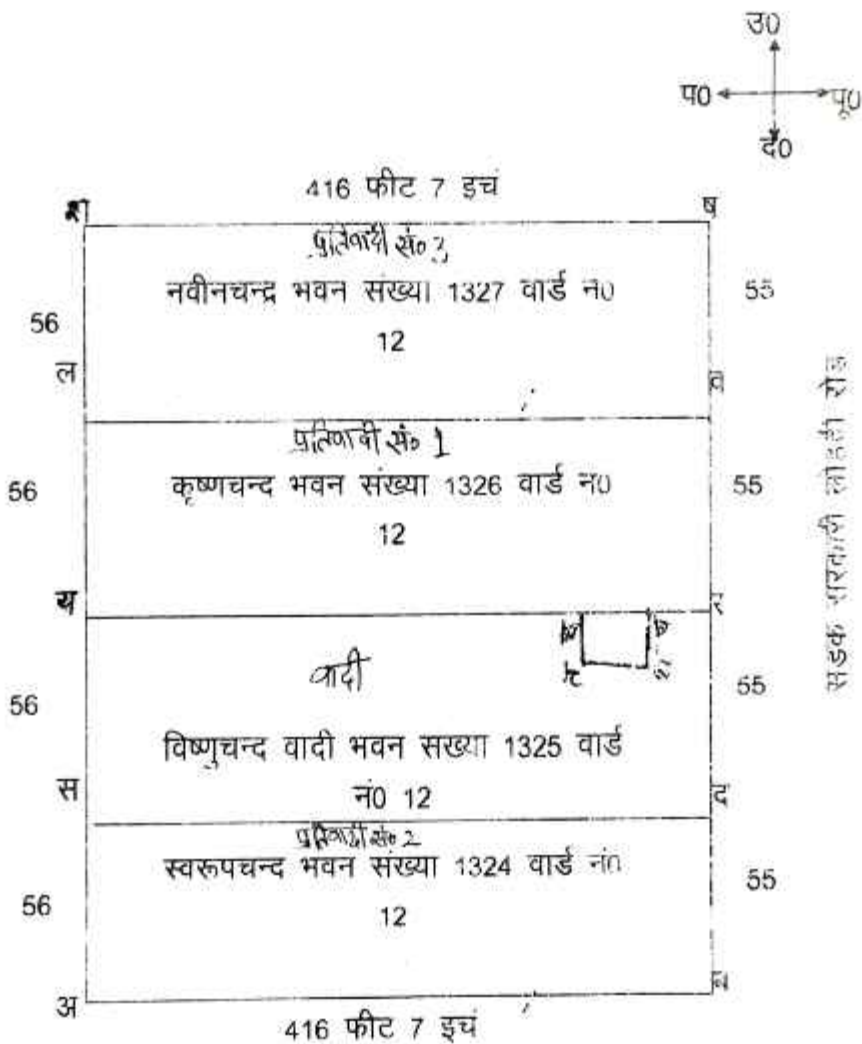
विष्णु चन्द्र

बनाम

कृष्ण चन्द्र आदि

नक्शा नजरी

विवरण सम्पत्ति स्थित बथुआ तप्पा ८४, परगना कंठित, तहसील सदर जिला मीरजापुर। भवन संख्या १३२५ वार्ड संख्या १२



दिनांक:- ३०-०३-२०१८

वादी

विष्णु चन्द्र



20

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू0डि0) मीरजापुर

वाद संख्या

सन 2018

विष्णु चन्द

बनाम

कृष्ण चन्द आदि

प्रार्थनापत्र द्वारा- विष्णु चन्द वादी/प्रार्थी मार्फत नरेशचन्द्र एडवोकेट।

श्रीमान् जी,

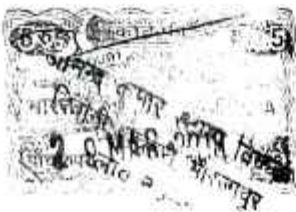
सविनय निवेदन है कि उक्त वाद में हम वादी ने स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया है जो श्रीमान् जी के यहाँ विचाराधीन है। प्रतिवादीगण जबरदस्ती गुण्डई व संरहगई के बल पर विवादित आराजी में खन खोद की कब्जा करने के फिराक में पड़े हुए हुए है। ऐसी दशा में किसी अमीन अदालत को मौके पर भेज कर रिपोर्ट मौके का मँगाया जाना आवश्यक व न्याय संगत होगा।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त मुकदमें में किसी अमीन अदालत को नियुक्त किया जाकर उन्हें यह निर्देश दिये जाने की आज्ञा प्रदान करे कि अमीन महोदय प्रतिवादीगण पर आदेश एवं नोटिस का तामीला करे एवं मौके की आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करे।

दिनांक:- 30-03-2018

प्रार्थी

विष्णु चन्द



106



न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू०डि०) मीरजापुर

43

वाद संख्या

सन् 2018

विष्णु चन्द

बनाम

कृष्ण चन्द आदि

शपथपत्र द्वारा:- विष्णु चन्द्र उम्र लगभग 60 वर्ष पुत्र स्व० श्रीचन्द्र निवासी मुहल्ला मीरसाहब की गली पोस्ट सदर तहसील सदर जिला व शहर मीरजापुर।

शपथग्राही शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता है:-

दफा :-1 यह कि शपथग्राही उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है तथा वादो मुकदमा है।

दफा :-2 यह कि वादपत्र के अन्त में उल्लिखित सम्पत्ति मद "क" का पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 15.06.2006 को शपथग्राही व प्रतिवादीगण के पिता श्रीचन्द्र द्वारा शपथग्राही व प्रतिवादीगण के पक्ष में तहरीर किया गया है।

दफा :-3 यह कि शपथग्राही व प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 28.08.2016 को होने के पश्चात् शपथग्राही व प्रतिवादीगण ने उक्त वसीयतशुदा सम्पत्ति स्थित मौजा बथुआ तप्पा 84, परगना कंति, तहसील सदर जिला मीरजापुर का आपस में बटवारा करके दिनांक 01.03.2017 को याददाश्तनामा तहरीर व तकमील करके अपने-अपने हिस्सा सम्पत्ति बटवारा पर बतौर मालिक काबिज दखील है।

दफा :-4 यह कि याददाश्तनामा दिनांक 01.03.2017 में उल्लिखित सम्पत्ति मद "क" में से शपथग्राही को सम्पत्ति मद 'ख' व प्रतिवादी संख्या 1 को सम्पत्ति मद "ड" एवं प्रतिवादी संख्या 2 को सम्पत्ति मद "ग" तथा प्रतिवादी संख्या 3 को सम्पत्ति मद

विष्णु चन्द

4/2

“घ” मिला जिसपर शपथग्राही व प्रतिवादीगण काबिज दखिल होकर उसका उपयोग व उपभोग अपने-अपने सुविधानुसार कर रहे हैं।

दफा :-5 यह कि वादपत्र व याददाश्तनामा में उल्लिखित सम्पत्ति जो नगर पालिका परिषद मीरजापुर अन्तर्गत है और वार्ड संख्या 12 में भवन संख्या 1325 पर शपथग्राही का नाम अंकित है तथा भवन संख्या 1326 पर प्रतिवादी संख्या 1 भवन संख्या 1324 पर प्रतिवादी संख्या 2 एवं भवन संख्या 1327 पर प्रतिवादी संख्या 3 का नाम अंकित है।

दफा :-6 यह कि उपरोक्त सभी चारों सम्पत्ति भवन पर शपथग्राही व प्रतिवादीगण अपने-अपने सम्पत्ति हिस्सा पर बतौर मालिक काबिज दखिल रहकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं।

दफा :-7 यह कि शपथग्राही की सम्पत्ति भवन संख्या 1325 पर प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की नियत से उसमें निशान लगाकर निर्माण करना चाहते हैं। शपथग्राही की सम्पत्ति मद “ख” वादपत्र से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। शपथग्राही मद “ख” भवन संख्या 1325 का तनहा मालिक काबिज है। प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार शपथग्राही की सम्पत्ति पर नहीं है।

दफा :-8 यह कि शपथग्राही की सम्पत्ति भवन संख्या 1325 वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर स, द, य, र से प्रदर्शित किया गया है व प्रतिवादी संख्या 1 की सम्पत्ति भवन संख्या 1326 अक्षर य, र, ल, व एवं प्रतिवादी संख्या 2 की सम्पत्ति भवन संख्या 1324 अक्षर अ, ब, स, द तथा प्रतिवादी संख्या 3

विष्णु चन्द

4/2
3

की सम्पत्ति भवन संख्या 1327 अक्षर ल, व, श, ष से प्रदर्शित है।

दफा :-9 यह कि प्रतिवादी जबरिया बिना किसी अधिकार के शपथग्राही की सम्पत्ति नक्शा नजरी वादपत्र अक्षर स, द, य, र में तथा उसमें स्थित कोठरी अक्षर त, थ, द, घ पर तोड़फोड़ कर कब्जा करने की नियत से दिनांक 26.03.2018 को अपने साथ कुछ मजदूरों को लेकर आये और शपथग्राही की सम्पत्ति अक्षर स, द, य, र में निशान लगाकर खनखोद करना चाहे जिसे शपथग्राही ने रोक दिया उस समय प्रतिवादीगण चले गये लेकिन जाते समय धमकी दिये कि शीघ्र ही अधिक आदमियों के साथ आकर निर्माण करायेगे।

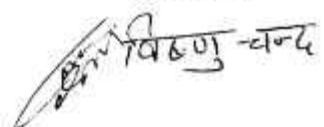
दफा :-10 यह कि प्रतिवादीगण की नियत शपथग्राही की सम्पत्ति पर ~~नाजायज~~ कब्जा करने की बनी है। शपथग्राही सीधा साधा व्यक्ति है लड़ाई झगडा नहीं करना चाहता इसलिए न्यायालय में निषेधाज्ञा वाद प्रस्तुत करके प्रतिवादीगण को उनके नाजायज हरकत को रोकना आवश्यक हो गया।

दफा :-11 यह कि वाद का कारण दिनांक 26.03.2018 को जब प्रतिवादीगण शपथग्राही की सम्पत्ति पर चढ़कर आये और निशान लगाकर निर्माण करना चाहे से बमुकाम ~~बबुआ~~ अन्दर अख्तियार समायत न्यायालय हाजा के उत्पन्न हुई और न्यायालय को मुकदमा के समायत का अधिकार हासिल है।

दफा :-12 यह कि शपथपत्र के कुल मजमून दफात् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 व 11 मेरी व्यक्तिगत जानकारी व विश्वास में सच व सही है। कोई बात झूठ या छिपायी नहीं गयी है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक:- 30-03-2018

शपथग्राही

 शिखर चन्द



न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू0डि0) महोदय मीरजापुर

मु०न०-

30.1/18

सन 2018

24.03.18

स्वरूप चन्द

बनाम

विष्णु चन्द वगै०

शपथपत्र द्वारा-स्वरूप चन्द बउम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र स्व० श्रीचन्द निवासी मुहल्ला-कदमतर (मीरसाहब की गली), तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, शहर-मीरजापुर।

शपथग्राही शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता है:-

दफा 1- यह कि शपथग्राही उपरोक्त वाद में वादी है और हालात मुकदमे की जानकारी रखता है और उक्त नाम व पते का मूल निवासी है।

दफा 2- यह कि निम्नलिखित मकान वाद पत्र शपथग्राही व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है और शपथग्राही व प्रतिवादीगण के पिता श्री चन्द ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पत्ति के बावत पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 15.06.2006 बहक शपथग्राही व प्रतिवादीगण तहरीर किया था।

दफा 3- यह कि शपथग्राही व प्रतिवादीगण की माँ श्रीमती गनेशा देवी की मृत्यु पिता श्री चन्द के जीवमकाल में हो गयी थी और श्रीचन्द की मृत्यु दिनांक 28.08.2016 को हो गयी है और बादमृत्यु स्व० श्रीचन्द के शपथग्राही निम्नलिखित मकान में बहैसियत मालिक काबिज दाखिल है और प्रतिवादीगण अन्य मकानात में अपने अपने परिवार के साथ जीवन व्यतित कर रहे हैं।

दफा 4- यह कि निम्नलिखित मकान में मुताबिक वसीयतनामा शपथग्राही व प्रतिवादीगण बराबर-बराबर के अंशधारी हैं किन्तु शुरु से ही शपथग्राही मय परिवार निम्नलिखित मकान में रहाईश करता

अजय कुमार गुप्ता
एडवोकेट
शपथ आयुक्त, मीरजापुर
24.03.18

24.03.18

चला आ रहा है और हमेशा शपथग्राही निम्नलिखित मकान के रख रखाव और चुना सफेदी, मरम्मत आदि का इंतजाम करता है किन्तु प्रतिवादीगण बराबर मकान के बटवारे को लेकर खीचा तानी करते हैं और शपथग्राही को मरम्मत आदि करने में विवाद उत्पन्न करते हैं।

दफा 5- यह कि प्रतिवादीगण के आपसी खीचातानी और विवाद के कारण निम्नलिखित मकान के रख रखाव में काफी दिक्कत आ रही है। जिससे मकान की नवईयत दिनों-दिनों कमजोर होती जा रही है निम्नलिखित मकान काफी पुराना है और बिना मरम्मत इत्यादि के कभी भी कोई क्षति उठानी पड़ सकती है।

आयुक्त कुमारे भुप्ता
एडवोकेट
राज्य आयुक्त, बीरजापुर

दफा 6- यह कि शपथग्राही ने प्रतिवादीगण से बार-बार आपसी बटवारा करने के लिए आग्रह किया किन्तु प्रतिवादीगण सुनवा नहीं रहे हैं बराबर धमकी देते हैं कि जबरजस्ती मकान में कब्जा कर लेंगे। प्रतिवादीगण बहुत ही मुकदमैबाज व चालाक किस्म के लोग हैं। प्रतिवादीगण के उत्पीड़न से शपथग्राही तथा उसके परिवार का अपने ही घर में रहना मुश्किल हो गया है।

दफा 7- यह कि शपथग्राही हमेशा मुताबिक वसीयतनामा प्रतिवादीगण से बटवारे के लिए कहता चला आ रहा है लेकिन प्रतिवादीगण असमाजिक तत्वों का भय दिखाकर तथा इलाका पुलिस में शपथग्राही के विरुद्ध नाजायज प्रार्थना पत्र देकर परेशान करते हैं जिससे शपथग्राही व उसका परिवार काफी दुखी व भयभीत हैं।

दफा 8- यह कि कल प्रतिवादीगण नाजायज गोल बनाकर निम्नलिखित मकान पर चढ़ आये और जबरजस्ती घर में शपथग्राही के रखे हुए सामानों को उठाकर ले जाने का प्रयास किया। जिस पर शपथग्राही और मुहल्ले के लोगो द्वारा बीच बचाव करने से

2-9-2012

42
3

प्रतिवादीगण अपने नाजायज हरकत में कामयाब नहीं हुए। पस जरूरत नालिश हाजा के पैदा हुई।

दफा 9- यह कि बिनाय मुखसिमत नालिश हाजा बरोज दिनांक 23.03.2018 को सुबह समय 8:00 बजे प्रतिवादीगण द्वारा मुताबिक वसीयतनामा सम्पत्ति का बटवारा करने से साफ इन्कार करने तथा जबरजस्ती निम्नलिखित मकान में से शपथग्राही के सामानों को उठाकर ले जाने का प्रयास करने से बमुकाम मुहल्ला-कदमत (मीरसाहब की गली), तप्पा-84, परगना-कतित, तहसील-सदर, शहर-मीरजापुर अन्दर हद्द अख्तियार समायत अदालत हाजा के पैदा हुई और अदालत हाजा को मुकदमा हाजा की सुनवाई का क्षेत्राधिकार हासिल है।

अजय कुमार
एडवोकेट
शपथ आयुक्त, मीरजापुर
24/3/18

दफा 10- यह कि शपथ पत्र में दिये गये दफात् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 की कुल मजमून मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सच व सही है कोई भी बात झूठी या छिपायी नहीं गयी है। परमेश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक:-24.03.2018

2-परमेश्वर
शपथग्राही
24/3/18

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु. 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

STATE OF UTTAR PRADESH

40AD 057018

नं. ५६१ — ३१२ दस्तावेज ५० —

अज्ञात नाम

आवेदन प्रस्तुत कर्ता का नाम: रंजित वैसवा

आवेदन प्रस्तुत दि. ६/२/०१८

जावेदता की शर्त

नहण विष्णुचन्द

शक्ति दि. १५/६/०६

मूल्य दस्तावेज की दायता प्रती है

नं. १० दि. १५/२/०८

नं. १० दि. १५/२/०८

राजेश्वर राम
लि० लि०

राजेश्वर राम
उप निबन्धक
मह-पौरजा
३१२

148/06

113

265

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

07AA 799504



1- किम दस्तावेज- कतिपयनामा विला मालियती

2- देय फटास्य मुवलिग 50/-रुपया

हम कि श्रीचंद पुत्र रवीराम महोदय प्रसाद उर्फ कल्लु गढ़िया निवासी मुहल्ला

कदमतरे ॥ मीर साहब की गली ॥ पत्रालय मीरजापुर सदर तहसील मीरजापुर सदर

शहर व जिला मीरजापुर का है।

चूंकि हम पुत्र नायक की आयु लगभग उन्नीसती ॥ 79॥ वर्ष की हो चुकी है हम पुत्र नायक की धर्मपत्नी श्रीमती गेनगादेबी का स्वर्गवास हो गया है। हम पुत्र नायक अबतर बीमार रहता है। हम पुत्र नायक की आँख की रोशनी दिन प्रति-दिन घटती जा रही है। हम पुत्र नायक शरीर से कमजोर होता जा रहा है। जीवन

5/10/24



वकील की...

4

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH

-2-

07AA 799505

का कोई ठिकाना नही कि कब हम पत्र नायक के प्राण इस नश्वर शरीर का परित्याग कर देवे और उस दशा में हम पत्र नायक की हार्दिक इच्छा हृदय में ही रह जावेगी ।

हम पत्र नायक के चार पुत्र गण क्रमशः 1- कृष्णचन्द व १२१ कृष्णचन्द व १३१ स्वल्प-चन्द व १४१ नवीनचन्द है। हम पत्र नायक के द्वितीय पुत्र कृष्णचन्द बुद्धि से कुछ कमजोर

है। हम पत्र नायक के चारों पुत्र गण हम पत्र नायक को हर सम्भव सेवा टहेल व दवा व इलाज वरावर करते कराते चले आ रहे है जिससे हम पत्र नायक अपने पुत्रों से हर प्रकार से

प्रसन्न व खुश है। हम पत्र नायक की तीन पुत्रियाँ है जिनको शादी व विवाह हम पत्र नायक ने सम्पन्न व सम्मानित व अच्छे परिवारों में कर दिया है। हम पत्र नायक

निम्नलिखित सात १७१ किता मकानों व एक बाग स्थित ग्राम वधुआ तप्पा ८५ परगना कर्तित तहसील सदर जिला मौरजापुर का स्वामी व मालिक व काविज है। जब तक

हम पत्र नायक जीवित रहेगा हम पत्र नायक अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का पूर्ण स्वत्वाधिकार सम्पन्न मालिक व स्वामी व काविज दखील रहेगा और हम पत्र नायक को

अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की वास्तव सभी प्रकार का अधिकार हस्तान्तरण का रहेगा । हम पत्र नायक अपनी समस्त अचल सम्पत्ति के वास्तव अपना यह अन्तिम इच्छापत्र

६/१०/१०

५५१०-५४



दस
रुपये

रु. 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

-3-

-07AA 799506

राज्य उत्तर प्रदेश
W.A. 777508

॥ वसोयतनामा ॥ अपनी निम्नलिखित अचल सम्पत्ति की वास्तव अपने स्वस्थ मस्तिष्क से व प्रसन्न चित्त से खूब सोच विचार कर अपनी निम्नलिखित अचल सम्पत्ति की वास्तव अपनी जीवन काल के बाद के लिये कर देता है :- दफा 1- यह कि जब तक हम पत्र-नायक जीवित रहेगा तब तक अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति का पूर्ण मालिक व काबिज व दखील रहेगा । दफा 2- यह कि मुहल्ला कदमतर ॥ मीर साहब की गली ॥ शहर मीरजापुर वार्ड संख्या 5 मकान नम्बर 288 का आधा अंश ॥ एक बटा देने ॥ हम पत्र नायक का है। हम पत्र नायक की मृत्यु के बाद मुहल्ला कदमतर ॥ मीर साहब की गली ॥ वार्ड संख्या 5 में स्थित मकान नम्बर 288 के उपरोक्त आधा अंश के स्वामी व मालिक व काबिज हम पत्र नायक के उपरोक्त चारों पुत्र गण किष्णचन्द व कृष्णचन्द व स्वरूपचन्द व मोहनचन्द बहिस्ता बराबर - बराबर हो जायेंगे । वार्ड संख्या 5 में स्थित मकान नम्बर 288 की चौहद्दी निम्नवत है :- पूरव- गली सरकारी , पश्चिम- गली सरकारी , उत्तर- मकान प्रेमचन्द , दक्षिण- मकान पंकज कुमार । दफा 3- यह कि मुहल्ला कदमतर ॥ मीर साहब की गली ॥ शहर मीरजापुर वार्ड संख्या 5 में स्थित

५-१२-५५

في الغالبه



100

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

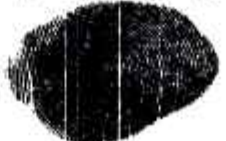
प्रदेश UTTAR PRADESH -4-

07AA 799507

मकान नं० 623 के उत्तर से दक्षिण 106 फीट लम्बे हिस्सा का जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है का मालिक व काबिज हम पत्र नायक है :- पूर्व- गली सरकारी, पश्चिम- मकान जवाहिर व कैलाशनाथ व रामविलास व गुलजारो लाल, उत्तर- मकान नं० 623 का शेष भाग जो कृष्णचन्द व स्वर्णचन्द व नवीनचन्द का होगा। दक्षिण- सरकारी गली। हम पत्र नायक की मृत्यु के बाद उपरोक्त सम्पत्ति के तनहा मालिक व काबिज हम पत्र-नायक के द्वितीय पुत्र कृष्णचन्द होंगे, परन्तु उन्हें उक्त मकान को तनहा हस्तान्तरित करने या बय बेचो करने का कोई अधिकार नहीं होगा। वह जब कोई हस्तान्तरण या बयनामा करना चाहेंगे तो उक्त हस्तान्तरण या बयनामा पत्र पर वतौर गवाहान हम पत्रनायक के दो पुत्र गण स्वर्णचन्द व नवीनचन्द का हस्ताक्षर कराया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा। इस दफा में हस्तान्तरण का अर्थ बयनामा, बख्तोशानामा, वसीयतनामा से होगा। उक्त कृष्णचन्द को उक्त मकान को रहन करने का कोई अधिकार नहीं होगा। दफा 4- यह कि मुहल्ला कदमतर 8 मोर साहव की गली 8 शहर मोरजापुर वार्ड संख्या 5 में स्थित मकान नम्बर 610 तथा उक्त वार्ड संख्या 5 में स्थित उपरोक्त

4/ 24-11-80

4/ 24-11-80



4/ 24-11-80

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH -5-

07AA 799508

मकान नम्बर 623 के उपरोक्त 106 फीट की उत्तर से दक्षिण लम्बाई के बाद के बचे उत्तरी हिस्सा के मालिक व काबिज हम पत्र नायक को मृत्यु के बाद हम पत्र नायक के तीन पुत्र गण कृष्णचन्द, स्वर्णचन्द व नवीनचन्द व हिस्सा बराबर- बराबर के होंगे। इसमें कृष्णचन्द द्वितीय पुत्र हम पत्र नायक का कोई हिस्सा या हक नहीं होगा।
वार्ड संख्या 5 में स्थित मकान नम्बर-610 की चेहड़ी निम्नवत है :- पूर्व- गली

सरकारी, पश्चिम - मकान गुलजारी लाल व रामविलास, उत्तर- गली सरकारी, दक्षिण- वार्ड संख्या 5 मकान नम्बर 623 का शेष अंश जो उत्तर से दक्षिण 106 फीट की लम्बाई को छोड़ कर है। दफा 5- यह कि महिला कदमतर ॥ इमली महादेव ॥ वार्ड संख्या 5 शहर मोरघापुर स्थित निम्नलिखित मकान 246 के हम पत्र नायक को मृत्यु के बाद तनहा मालिक व काबिज हम पत्र नायक के पुत्र नवीनचन्द होंगे। महिला कदमतर ॥ इमली महादेव ॥ वार्ड संख्या 5 में स्थित मकान नम्बर 246 की चेहड़ी निम्नवत है :- पूर्व- गली सरकारी, पश्चिम - मकान विजयकुमार व विनय कुमार, उत्तर- गली सरकारी, दक्षिण - मकान निर्मल देवी। दफा 6- यह कि महिला कदमतर

१७/१२/८५

४/१०/८५





-6-

वार्ड संख्या 5 शहर मोरजापुर स्थित निम्नलिखित मकान नं० 251 के हम पत्र नायक की मृत्यु के बाद तनहा मालिक व काबिज हम पत्र नायक के ज्येष्ठ पुत्र विष्णुचंद हो जायेंगे। मुहल्ला कदमतर वार्ड संख्या 5 शहर मोरजापुर में स्थित मकान नं० 251 की चौहद्दी निम्नवत है :- पूरव- गली सरकारी, पश्चिम - गली सरकारी, उत्तर - मकान जवाहिर लाल, दक्षिण- मकान लक्ष्मीचंद । दफा 7- यह कि मुहल्ला सवरी तप्पा 84 परगना कंति तहसील मोरजापुर सदर शहर मोरजापुर वार्ड नं० 12 स्थित मकान नम्बर 594 के हम पत्र नायक की मृत्यु के बाद तनहा मालिक व काबिज हम पत्र नायक के दो पुत्रगण स्वर्णचंद, नवीनचंद वहीस्ता बराबर- बराबर होंगे । मुहल्ला सवरी तप्पा 84 परगना कंति तहसील मोरजापुर सदर शहर मोरजापुर वार्ड संख्या 12 स्थित मकान नम्बर 594 की चौहद्दी निम्नवत है :- पूरव- मकान रामदुलार चौधरी, पश्चिम - सड़क सरकारी, उत्तर- मकान भावानदास, दक्षिण - जमीन रामदुलार चौधरी । दफा 8- यह कि मुहल्ला झमलो महादेव 8 बड़ी माता की गली 8 शहर मोरजापुर वार्ड संख्या 5 स्थित मकान नम्बर 558 का हम पत्र नायक की मृत्यु के बाद तनहा मालिक व काबिज हम पत्र नायक के तृतीय पुत्र स्वर्णचंद होंगे । मुहल्ला झमलो महादेव 8 बड़ी माता की गली 8 वार्ड संख्या 5 स्थित मकान नम्बर 558 की चौहद्दी निम्नवत है :- पूरव- गली सरकारी, पश्चिम - मकान लल्लु वर्मा, उत्तर- मकान लल्लु वर्मा, दक्षिण- मकान रमेशचंद कसेरा । दफा 9- यह कि मौजा बुधुआ



मौजा बुधुआ के मालिक का नाम है -
 रामेशचंद कसेरा



-7-

तप्या 84 परगना कंठित तहसील मोरजापुर सदर & तोहदी महाबीर मर्जा & गहर मोरजापुर स्थित आराजी नम्बरी 44 मि० क्षेत्रफल 3 बिघा 5 बिघा जो कागजात माल में संक्रमणिय भूमिधरी श्रेणी 1 में अंकित है तथा उपरोक्त मौजा बधुआ स्थित आराजी नम्बरी 44 मि० क्षेत्रफल 3 बिघा जो कागजात माल में ज़मन 12 में अंकित है यानी कुल 3 बीघा 8 बिघा क्षेत्रफल जो एक ही में एक दूसरे से सटे है। हम पत्र नायक को सम्पत्ति है के हम पत्र नायक की मृत्यु के बाद हम पत्र नायक के चारों पुत्र गण विष्णुचन्द व लक्ष्मणचन्द व स्वर्णचन्द व नवीनचन्द बहिष्कार बराबर - बराबर के स्वामी व मालिक व काबिज होंगे। परन्तु उपरोक्त मौजा बधुआ स्थित उपरोक्त आराजी नम्बरी 44 का कोई हस्तान्तरण मेरे चारों पुत्र गण की सामुहिक सहमति व रक्षामन्दी व स्वीकृति से ही सम्पन्न किया जावेगा। दफा 10- यह कि हम पत्र नायक की मृत्यु के बाद हम पत्र नायक के उपरोक्त चारों पुत्र गण अपना अपना नाम उपरोक्त जायदाद पर इस वसीयतनामा के अनुसार कार्यालिका के कागजात व कागजात माल में दर्ज करा लेने के अधिकारी होंगे। दफा 11- यह कि हम पत्र नायक ने अपने इस अन्तिम इच्छा पत्र व वसीयतनामा के कुल मजमून को स्वयं शुरू से अन्तिम तक पढ़ लिया है।



Handwritten signature and some illegible text at the bottom center of the page.

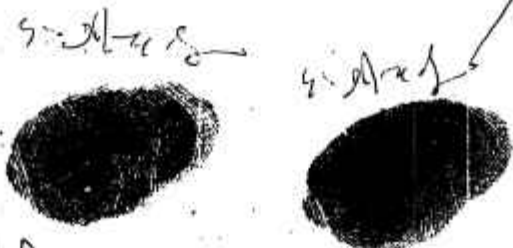


-8-

अतएव यह वन्द कलमः बतरीक अपने अन्तिम इच्छा पत्र ॥ वसीयतनामा ॥
के हम पत्रनायक ने स्वस्थ मस्तिष्क व प्रसन्नचित्त से लिख दिया कि प्रमाण
रहे व समय पर काम आवे ।

दिनांक 15-06-2006 ई0

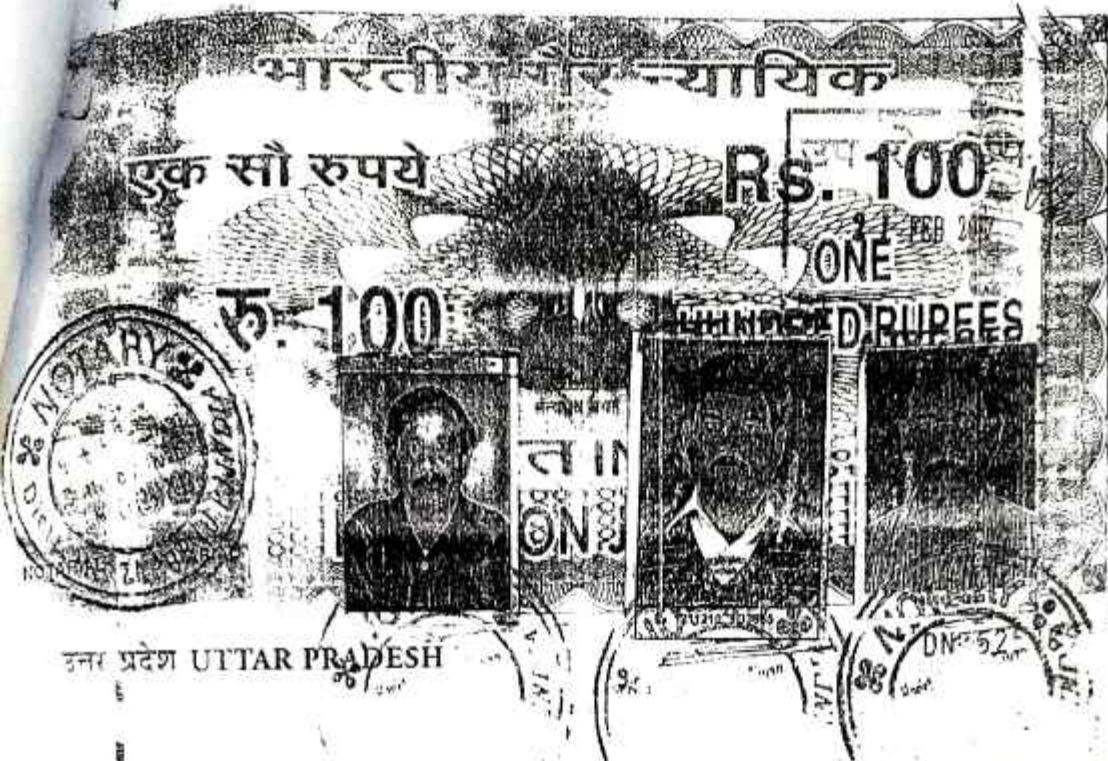
मस्तपिदा किया - *जोगेंद्र प्रसाद शर्मा के सी.पी. मजली*
टाईप किया - *शिवकुमार शुभ. बिजली/मजली ठिकाने*
मीरसाहब 15/6/06



ग0 बिनीत कुमार पुत्र श्री चन्द्र सा० रूपमतर
मीरसाहब की. जली, मीरसापुर

जि. हंसाप्रसाद मोहता नं० 126 हंसापुर
बनहरी मीरसापुर

h



हमकि विष्णुचन्द, स्वल्पचन्द, व नवीनचन्द पुत्रगण स्वः श्रीचन्द नि तसोगण मोहल्ला मीर साहब की गली, कदमतर. शहर मीरजापुर के हैं।

विदित हो कि मुकिरान कुल चार भाई कयः विष्णु चन्द, कुलचन्द, स्वल्पचन्द व नवीनचन्द हैं, जिनमे कुलचन्द मानसिक रूप से कमजोर मुकिरान के पिता श्रीचन्द स्वः गहादैव पुसाद उर्फ कलू नि 100 कदमतर मीर साहब की गली, शहर मीरजापुर मे मृत्यु पूर्व वसोयतनामी लिख रित व हस्ताक्षरित करके पंजीकृत करवा दिया था जो दिनांक 15-6-2006 को वही सख्या तृतीय जिल्द सख्या 103 के पृष्ठ 265/280 के नम्बर 14 पर पंजीकृत है। मुकिरान के पिता को मृत्यु दिनांक 28-8-2016 को हो गयी। पिता की मृत्यु के बाद मुकिरान कुली जमीन का स्वामी व काबिज बअखितय इन्तकाल हरगुना हो गये और जुमिला हकूक मालिकाना अमल मे लाते ले आ रहे हैं। दोनों नम्बरान आवसः से सटे हैं और कुल रकबा 3 बीघा 8 कम्वा है

विष्णुचन्द

Nareem Chandra

स्वल्पचन्द

128

10/3

मुकिरान ने यह आवश्यक समझा कि आराजी निम्न का बटवारा आपस में करना आवश्यक समझ कर यह मुनासिब समझा कि जायदाद निम्न का बटवारा कर लिया जाय। इसी बात को ध्यान में रखाकर मुकिरान ने आपस में सभी भाईयों ने बटवारा कर लिया और आ में मिली जायदाद पर एकमेव कब्जा दखाल भी हासिल कर लिया। मुकिरान के एक भाई कृष्णचन्द जो मानसिक रूप से कमजोर है उन पत्नी बटवारा के लिये सहमत रही परन्तु हस्ताक्षर करने के लिये सहमत नहीं रही इसलिये आपसी बटवारा को लिखता पदवी करना मुनासिब समझकर निम्न घाददास्तनामा प्रसन्नतापूर्वक स्वस्थ व स्थिर से विला किसी अनुचित दबाव के निम्न प्रतिबन्धों से आवद्ध होते हैं

दफा 1- यह कि सम्पूर्ण सम्पत्ति का विवरण निम्न मद 'क' में अंकित किया गया है जिसके चार हिस्सेदार हैं। दफा 2- यह कि सम्पत्ति विवरण अंकित मद 'ख' विष्णुचन्द को आपसी बटवारे के हिस्से में आयी है सम्पत्ति अंकित विवरण 'ख' से अन्य भाई से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न कोई राइट टाइटिल या इन्टरेस्ट ही अन्य भाई को है। सम्पत्ति अंकित विवरण मद 'ख' के एकमेव स्वामी व काबिज विष्णुचन्द हैं जिसकी नाप व वौद्ददी अंकित है। दफा 3- यह कि सम्पत्ति अंकित विवरण मद 'ग' आपसी बटवारे में स्वयं के हिस्से में आयी। सम्पत्ति अंकित विवरण 'ग' से अन्य भाई से किसी किस्म का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न कोई राइट टाइटिल या इन्टरेस्ट ही अन्य भाई का है सम्पत्ति अंकित विवरण मद 'ग' के एकमेव स्वामी व काबिज स्वयंचन्द हैं जिसकी नाप व वौद्ददी निम्न है। दफा 4- यह कि सम्पत्ति अंकित विवरण मद 'घ' आपसी बटवारे में नवीनचन्द के

विष्णुचन्द

Naveen chandya

29/05/20

हिस्से में आयी है सम्पत्ति अंकित विवरण मद "छा" से अन्य भाई
 से किसी किस्म का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न अन्य
 भाई का कोई राइट टाइटिल या इन्टरेस्ट ही है, सम्पत्ति।
 अंकित विवरण "छा" के एकमेव स्वामी नवीनचन्द है जिसका
 नाम व चौहदारी निम्न है। दफा 5- यह कि सम्पत्ति अंकित विवरण
 मद "ड. १" आपसी बंटवारे में कृष्णाचन्द के हिस्से में आयी है जो सभी
 भाईयों को मंजूर है किसी भी भाई को कोई आपत्ति नहीं है,
 सम्पत्ति अंकित विवरण मद "ड." से अन्य भाई से किसी किस्म का
 कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न कोई राइट टाइटिल या
 इन्टरेस्ट ही है सम्पत्ति अंकित विवरण मद "ड." के एकमेव स्वामी
 व आविज कृष्णाचन्द है जिसकी चौहदारी व नाम निम्न है। दफा 6-
 यह कि याददाशतनामा पक्षागण के निर्देश पर लिखा गया है जिसे
 पक्षागण ने पढ़कर सम्झ लिया है जो पक्षागण को स्वीकार है।
 अतः यह चन्द कलमा बतौर याददाशतनामा
 के लिखा दिया कि सन्द रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

मद "क"

सम्पूर्ण जायदाद स्थित ग्राम ^{बुधगुआ} ~~बुधगुआ~~ तप्पा 84 परगना कंठित
 तहसील मयर, मोरगापुर
 चौहदारी-

पूर्व- लोहदो महाबीर मार्ग
 पश्चिम- जमीन व मकान अन्य
 उत्तर- जमीन व मकान अन्य
 दक्षिण- जमीन व मकान अन्य

विष्णु चन्द

Naveen chandya

2-वरुणचन्द

84

मद "छा"

विवरण सम्पत्ति जो बटवारा मे विष्णुचन्द के हिस्से मे मिली है स्थित ग्राम ^{बधाआ} तप्पा 84 परगना कंति तहसील सदर.

मीरजापुर

घोहदो- पूरब- लोहदो महाबीर रोड

पश्चिम- जमीन व मकान अन्य

उत्तर- बहिस्ता कुष्णचन्द

दक्षिण- बहिस्ता स्वल्पचन्द

नाप- पूरब पश्चिम- 416 फीट 7 इंच

उत्तर दक्षिण बजानिब पूरब- 55 फीट

उत्तर दक्षिण बजानिब पश्चिम- 56 फीट

मद "ग"

विवरण सम्पत्ति जो आनसी बटवारे मे स्वल्पचन्द के मिली है स्थित मोहली ^{बधाआ} तप्पा 84 परगना कंति तहसील सदर

मीरजापुर

पूरब- लोहदो महाबीर मार्ग

पश्चिम- जमीन व मकान अन्य

उत्तर- हिस्सा विष्णुचन्द

दक्षिण- जमीन व मकान अन्य

नाप- पूरब पश्चिम- 416 फीट 7 इंच ✓

उत्तर दक्षिण बजानिब पूरब- 55 फीट

उत्तर दक्षिण बजानिब पश्चिम- 56 फीट

विष्णुचन्द

Narainchandra

स्वल्पचन्द

858

मद "टा"

विवरण सम्पत्ति जो आपसी बटवारे मे नवीनचन्द को गिरी
 है स्थित ^{बधुआ} ग्राम ~~बधुआ~~ तप्या 84 परगना कंति तहसील सदर
 जनपद मीरजापुर

घोहददी-

पूरब- लोहो महाबीर मार्ग

पश्चिम- जमीन व मकान अन्य

उत्तर- जमीन व मकान अन्य

दक्षिण- हिस्सा कृष्णचन्द

नाप-

पूरब पश्चिम- 416 फीट 7 इंच

उत्तर दक्षिण बजानिब पूरब- 55 फीट

उत्तर दक्षिण बजानिब पश्चिम- 56 फीट

मद "डो"

विवरण सम्पत्ति जो आपसी बटवारे मे कृष्णचन्द को गिरी है
 है स्थित ^{बधुआ} ग्राम ~~बधुआ~~ तप्या 84 परगना कंति तहसील सदर मीरजापुर
 घोहददी

पूरब- लोहो महाबीर मार्ग

पश्चिम- जमीन व मकान अन्य

उत्तर- हिस्सा नवीनचन्द

दक्षिण- हिस्सा विष्णुचन्द

नाप-

पूरब पश्चिम- 416 फीट 7 इंच

उत्तर दक्षिण बजानिब पूरब- 55 फीट



विष्णुचन्द

Narayan Chandra

2-बरेलपन्द

10/2
9

161

जिल्हा न्यायालय मजगती वसतिगृह- 56 जेट

मजगती वसतिगृह- 56 जेट

जिल्हा न्यायालय मजगती वसतिगृह- 56 जेट

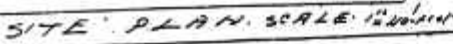
जिल्हा न्यायालय- 1-3-2017



मजगती वसतिगृह

Notary Public

मजगती वसतिगृह



NO:- 9450600016

— — — — —

2

सेवा में

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
जनपद - गीरजापुर।

विषय : खेला प्रपत्र IGRL N- 400199/8003541 चार्जदारी
शुभम कर्तार १० कृष्ण नगर, कर्तार १० कर्तार १० कर्तार
सीए हफ्ता लोहरी रोड १५ को कर्तार गीर के जैन आस्था।

महोदय,

खेला प्रपत्र की जैन गुप्त यादगी का जॉक पर
अपने लेनें जसे से जर्न की गो बात हुआ कि आवेदक जैन
रूप से जदमतर जलकोषाद गीरजापुर में रहता है, इसकी
जर्न लोहरी रोड में है जहां पर दो कर्तार जैन एवं काशी
जर्न व जर्न है जिसकी रखवाली हेतु विपक्षी को कर्तार
१-५ स्थान से जर्न था जस अपने विपक्षी को हटाया जा रहा
है। विपक्षी आवेदक से अपनी मजदूरी के कर्तार जर्न है जर्न
आवेदक का जर्न है कि जर्न जर्न में रहने का जर्न/जर्न
जर्न जर्न जर्न जर्न को जर्न का लोहरी रोड का जर्न से
रहा जर्न हेतु जर्न जर्न का जर्न जर्न जर्न। विपक्षी को जर्न
को जर्न को जर्न जर्न हेतु जर्न जर्न जर्न। जर्न जर्न
जर्न जर्न जर्न जर्न में जर्न जर्न के जर्न जर्न जर्न जर्न
का है जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न की जर्न जर्न जर्न जर्न
को जर्न है कि जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न
आवेदक की जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न
जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न
के जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न
जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न जर्न

संलग्नक :- प्रपत्र -

Sir

Guberna

21/11/18

जर्न

जर्न जर्न जर्न
जर्न जर्न जर्न
जर्न जर्न जर्न

रिपोर्ट धाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर

सेवा में,

बीमान पुलिस अधीक्षक महोदय

जनपद मीरजापुर।

महोदय,

निवेदन है कि सलम प्राध्वर सदर्भ संख्या 400199/8005148 आवेदक स्वयं चन्द्र कसेरा पुत्र कृष्ण चन्द्र कसेरा निवासी कदतर धाना कोतवाली शहर मीरजापुर व उनके सगे भाचा विपक्षीय नवीन चन्द्र कसेरा, स्वयं चन्द्र कसेरा, विगुनचन्द्र पुत्रगण श्रीचन्द्र आपस में ये चार सगे भाई हैं। इन लोगों के मध्य मुहल्ला बातर में बने पैतृक मकान के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। मौके पर पहुंचकर मुहल्ले के सभ्यता व्यक्तियों को बुलाकर आपस में सभी पक्षों से बातचीत कराया गया। जिसके फलस्वरूप चारों पक्ष पैतृक मकान में प्रत्येक 1/4 भाग के बंटवारे पर राजी हो गये। आवेदक द्वारा यह प्राध्वर बढ़ा चढ़ा कर मनगढ़ंत आरोप लगाकर प्रस्तुत किया गया है। जिसकी जाँच से पुष्टि नहीं हुई। विवाद पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

(30/10/2018) (30/10/2018) (30/10/2018)

धाना कोतवाली शहर, मीरजापुर।

सलमक:- प्राध्वर मय दीगर कागजात ... वर्क।

श्रीमान जी,
अति से सहमत
संयुक्ति सहित उपस्थित है।

प्रभाश निरीक्षक
मीरजापुर

~~Mod. No 9455~~

Mod. No 9455-999618

Mod. No 7398509245

Rajendra Prasad Maurya

A/R 0538/15 Adl. Court
High Court Allod.

(U/S 482 Cr.P.C.)

Cr. Mize Application No 8444/2020

Sh. M. M. P. U. S.

Rishabh Kaseera --- Appli/Petitioner

Vs

State of U.P. and mother --- Resp.

Order dt- 6-3-2020





Warning :- Don't tamper with the barcode.
 Embossing to be done below this line on the last page

Embossing to be done above this line on the last page
 This Authenticated Copy is invalid without this page



**Computerized Copying Section, High Court of Judicature at
 Allahabad**

Requisition Information								
Folio No.	Application Date	Case Type	Case No.	Year	Case filed at	Date of Judgment/Order	Court Fee	No. of Pages
70086 of 2020	7.3.2020	A482	8444	2020	Allahabad	6.3.2020	15.0	1

Printed/Prepared by	Authenticated by	Date of Issuance
Signature :-	Signature :- 07/03/2020	
Name :- Milan Gupta Designation :- Review Officer Employee No. :- E7534 Date of Printing :- 7.3.2020	Name :- KAPUR CHAND Designation :- Section Officer Employee No. :- 7008 Authenticated Copy ready on :-	17 MAR 2020

Court No. - 52

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 8444 of 2020

Applicant :- Rishabh Kasera

Opposite Party :- State Of U.P. And Anr

Counsel for Applicant :- Rajendra Prasad Maury

Counsel for Opposite Party :- G.A., Brijesh Kumar, Joginder Prasad

Hon'ble Neeraj Tiwari, J.

Heard learned counsel for the applicant, learned counsel for opposite party no. 2 and learned A.G.A. for the State.

The present application under Section 482 Cr.P.C. has been filed for quashing the entire criminal proceedings as well as impugned summoning order dated 21.12.2019 passed by Special Judge (SC/ST Act), Mirzapur in Complaint Case No. 01 of 2019 (later on Session Trial No. 124 of 2019), under Sections 323, 504, 506 I.P.C. and 3(1) (da), 3(1) (dha) and 3(1)(Pa) of The Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Police Station City Kotwali, District Mirzapur, pending in the court of Special Judge (SC/ST Act), Mirzapur.

It is submitted by learned counsel for the applicant that there is civil dispute pending between the parties and mother of the applicant has given an application dated 17.01.2018 to the S.S.P., Mirzapur against the uncles of the applicant. It is further submitted that opposite party no. 2 is admittedly working as domestic servant at the resident of uncles of the applicant. A frivolous complaint by way of an application under Section 156(3) Cr.P.C. has been filed in which Naveen Chand, one of the uncles, is witness. It is next submitted that in fact no such incident has ever taken place and only to pressurise the applicant, the present proceeding has been initiated against the applicant.

Learned counsel for the opposite party no. 2 has vehemently opposed the submission of learned counsel for the applicant, but could not dispute the fact of pendency of civil dispute pending between the parties.

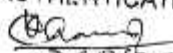
Learned counsel for the opposite party no. 2 prays for and is granted three weeks time to file counter affidavit. Rejoinder affidavit, if any, may be filed within two weeks thereafter.

List this case on 20.4.2020 before appropriate Bench.

Till the next date of listing, further proceeding of the aforesaid case shall remain stayed against the applicant.

This case shall not be treated as tied up or part heard to this Bench.

Order Date :- 6.3.2020
Rmk.

AUTHENTICATED COPY

27/03/2020
SECTION OFFICER
COMPUTERISED COPYING SECTION
HIGH COURT, ALLAHABAD

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), मीरजापुर।

परिवाद सं० ०१/२०१९

सुकालु

बनाम

दिनेश विश्वकर्मा व अन्य।

थाना कोतवाली शहर, जनपद मीरजापुर।

21.12.2019-

पत्रावली आज आदेश के लिए नियत है।

परिवादी सुकालु पुत्र लोरीक, निवासी ग्राम भोजपुर, पोस्ट पहाड़ा, थाना पडरी, जनपद मीरजापुर द्वारा विपक्षीगण दिनेश विश्वकर्मा, आनन्द विश्वकर्मा पुत्रगण स्व० गुलाबचन्द विश्वकर्मा, निवासीगण इमली महादेव, थाना शहर कोतवाली, मीरजापुर तथा ऋषभ कसेरा पुत्र कृष्णचन्द कसेरा, निवासी कदमतर, थाना शहर कोतवाली, जिला मीरजापुर व विनय कसेरा पुत्र रमेश प्रसाद निवासी पैरिया टोला, थाना कोतवाली कटरा, मीरजापुर के विरुद्ध प्रार्थनात्र अन्तर्गत धारा १५६(३) द०प्र०सहिता प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय के आदेश दिनांक १४.१२.२०१८ द्वारा परिवादपत्र के रूप में दर्ज किया गया है।

परिवादी की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में धारा २०० द०प्र०सं० के अन्तर्गत स्वयं को तथा धारा २०२ द०प्र०सं० के अन्तर्गत गवाह पी०डब्ल्यू-१ नवीन चन्द व पी०डब्ल्यू-२ विश्वभूषण दीक्षित को परीक्षित कराया गया है।

परिवादी द्वारा परिवादपत्र के समर्थन में ४ख शपथपत्र एवं सूची ६ख/१ से स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति का०सं० ६ख/२, स्वयं के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति का०सं० ६ख/३, स्वयं के चिकित्सीय आख्या की मूल प्रति कागज सं० ६ख/४, पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर को दिये गये प्रार्थनापत्र की छायाप्रति मय रजिस्ट्री रसीद का०सं० ६ख/५, पुलिस उपमहानिरीक्षक को प्रेषित किये गये प्रार्थनापत्र की छायाप्रति मय रजिस्ट्री रसीद का०सं० ६ख/६ एवं पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० सरकार को प्रेषित किये गये प्रार्थनापत्र की छायाप्रति मय रजिस्ट्री रसीद का० सं० ६ख/७ दाखिल किया गया है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी जा चुकी है तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि परिवादी सुकालु अनुसूचित जाति के अन्तर्गत चमार जाति का है। वह इमली महादेव, थाना शहर कोतवाली में विष्णुचन्द, नवीनचन्द व स्वरूपचन्द के यहाँ नकान में मजदूरी कर रहा था कि दिनांक २७.०९.२०१८ को समय सायं ५ बजे के लगभग वह सरकारी हैण्ड पाइप में पानी पीने लगा तभी दिनेश विश्वकर्मा, आनन्द विश्वकर्मा, जो हैण्डपम्प के सामने रहते हैं, आकर दिनेश ने उसे लात से मारा जिसके कारण वह गिर गया तथा आनन्द व ऋषभ कसेरा भी मारने लगे और कहा कि चले जाओ चमार हैण्ड पम्प छू कर गन्दा कर दिया, आज के बाद मत आना इस हैण्ड पाइप पर। उसी समय उनका मित्र विनय कसेरा भी आ गये और वे भी उसे भद्दी-भद्दी विनिर्दिष्ट गालियाँ देते हुए कहे कि भाग जाओ नहीं तो जान से मार डालेंगे। तब मोहल्ले के लोग जिनके यहाँ वह काम करता था, नवीनचन्द व स्वरूपचन्द आकर बीच बचाव किये। वह घटना की सूचना देने थाना कोतवाली शहर गया लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी, तब वह जिला चिकित्सालय जाकर अपना मेडिकल उसी दिन कराया। बाद में उच्चाधिकारियों को भी प्रार्थनापत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया।

परिवादी सुकालु ने अपने परिवाद के समर्थन में द०प्र०सं० की धारा २०० का बयान भी दिया है जिसमें उसने बताया है कि वह मजदूर आदमी है, दिनांक २७ की घटना है, सितम्बर का महीना था। वह जहाँ काम कर रहा था, वही पर शाम को ५ बजे सड़क पर

हैण्ड पम्प पर पानी पीने गया था। वहाँ पर दिनेश, आनन्द, विनय और ऋषभ मिले और उन्होंने उससे उसकी जाति पूछी और जाति चमार बताने पर उन्होंने उसे चमरा की, मा-बहन की गाली देते हुए कहा कि चमार होकर हैण्डपम्प छू दिये, पूजा पाठ कैसे होगा। उसके बाद वे लोग उसे लात से मारे तथा विनय ने कालर पकड़कर जान से मारने की धमकी दी, तभी वह जिसके यहाँ काम कर रहा था, वहाँ आये और उन लोगों से उसे बचाया। उसने अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराया।

इस प्रकार परिवार में उल्लिखित तथ्यों तथा उसके समर्थन में परिवारी द्वारा किये गये कथन अन्तर्गत धारा 200, 201, 202 तथा साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा 202, 203 से प्रथम दृष्टया विपक्षीगण द्वारा परिवारी सुकालू को विनिर्दिष्ट गालियाँ देने, जान से मारने की धमकी देने, लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने, अनुसूचित जाति के सदस्य प्रार्थी से घृणा करने तथा लात से मारने पीटने का अपराध किया जाना प्रकट हो रहा है जिसके सम्बन्ध में विपक्षीगण भा०द०स० की धारा 323, 504, 506 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(द), 3(1)(घ) व 3(1)(प) के अधीन विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण दिनेश विश्वकर्मा व आनन्द विश्वकर्मा पुत्रगण स्व० गुलाबचन्द विश्वकर्मा, निवासीगण इमली महादेव, थाना शहर कोतवाली, मीरजापुर व अभियुक्त ऋषभ कसेरा पुत्र कृष्ण चन्द कसेरा नि०मु० कदमतूर, थाना कोतवाली शहर, जिला मीरजापुर व विनय कसेरा पुत्र रमेश प्रसाद, निवासी पैरिया टोला, थाना कोतवाली कटरा, मीरजापुर को भा०द०स० की धारा 323, 504, 506 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(द), 3(1)(घ) व 3(1)(प) के अपराध में विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्तगण जरिये समन तलब हों तथा परिवारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण की घटना में जिन साक्षीगण को परोक्षित कराना चाहता हो उनकी सूची अगली तिथि तक प्रस्तुत करे। इस प्रकरण का विचारण नियमानुसार विशेष सत्र परीक्षण के रूप में किया जाय।

पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 28.01.2020 को पेश हो।

दिनांक 21.12.2019

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी./एक्ट) 9
मीरजापुर।

4-1-20

(51/62)

135

35

U/24.T.010001332019

UP-7010051902018 (3701/18)

124/19

प्र. १००. श्रीमान श्रीमान एम. ए. / एम. टी. से. ए. प्रो. एम. ए.

STUTS II.

6-1-20

अप्रै 2010



सू. १०५ अथवा प्रत्येक अक्षरमात्रा के लिए

एतत्पर-
एतत्पर-

ध्याना - गुरु कोत्वाली. मायागुरु

जायना न. 156836 सी. आर. पी. सी. के तहत

मुन्नाबा पन जाल मुन्नाबा मुन लोराक निवासो ग्राम श्री भाजपुर

गोस्वामी पंडाडा, धाना बड़ली, जयसद मोरजापुर

खुलतः

1-विद्येता विद्यमानं पु. 10 गुणः ३२५ विद्यमानं

2- आनन्द विश्वकर्मा पुत्र स्व० गुलाबचन्द विश्वकर्मा

माकिवाम इमली महादेव, जामा शहर चैतन वि. प्रेरणापुर

अ- 107 म कोरा गुप्त कृत म कोरा म 1070 म 1071 म

4-विभव कौशिक पुत्र रमेश प्रसाद निवासी वैरग पीता, पाना

को०क०रा. मोरगापुर

भारतम्,

निर्देश है कि 'आ' उत्तर उद्देश के अनुकूलित आ

॥ अन्तर्गत चारजाति का है हम मृत्यु गरीब खदूर व्यक्तित्व है

तथा जाति का आधार पर ग्राह्य मजदूरी करने के लिये शक्यता

महादेव, आत्मा बाहर कोनाला है विष्णुवन्द. गोप्य व सत्यवन्द

यहां मान में गणपूर्णा है यह था कि दिनांक 27-9-2018 को मः

प्रमाण 3.00 करोड़ के अराब हम गुजराती सरकार के बैंक पाइस से पाने कीने लगा

सप्तमः विविधोपदेशः विशेषा विवरणा पुत्र सप्त गुणवर्णन विवरणा

आमन्द विभक्त्यां रूपा तस्य सुतामन्द भाविन इत्यर्थे महादेव ,

रुकाए

जाना और आर. मीरपुर के हेंड पम्प के सामने रहते हैं मैं पानी
 बलाकर वा रहा था कि विनेशा आकर मुझे लात से मारा मैं वहीं गिर
 गया तथा उनका भाई आनन्द व बहाम जैरा पु. वृद्धाश्रम कसेरा
 भी मारते लगे और कहा कि वही जाओ वगैरह तुम हेंड पम्प ठूँकर
 मरिदा कर दिया आज के बाद मत जाना इस हेंड पाइपर पर अब हम
 सब पानी जैसे पाये जैसे कहा कि मेरे पुने से कहा मरिदा हुआ तो कहा कि
 वगैरह जाति का होकर पुना और मरिदा कर रहे तो तभी उनका मित्र
आनन्द जैरा पु. तमेश गुप्ता व विनय रैरिया डीला, आना कसेरा
 कोलवाली मीरपुर भी आ गये और वे भी मुझे भद्रा भद्रा
 मार मार व बदन बदन की मारिया देते हुये कहा कि साले भाग
 जानो व तभी जो जान से पार जाये जब मोहल्ले के लोग विनये यहाँ हम
 पु. श्री नवीनश्रम व मरिदा आकर बीच बगैर किया तथा कहा कि
 पानी हेंड पम्प सार्वजनिक है इस पर पानी पीने से मर्दा रोना जा सकता
 और हम पु. श्री तब आना शहर कोलवाली गया वहा पर बैठे रहे हम
 पु. श्री व पु. श्री गुप्ता रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया तब हम पु. श्री गिला
 शिक्षा मालय जाकर अपना इलाज व मोहल्ले उसी दिन कराया यह
 जानकारी होने पर उपर विनेशा वगैरह ने हम पु. श्री को बराबर जान से
 मारने की धमकी दे रहे हैं कि अगर कोई जानूनी कार्यवाही की तो अपने
 जान से हाथ धागे गेली ऐसी स्थिति में न्यायके लिए तो हम पु. श्री को
 पु. श्री गुप्ता रिपोर्ट दर्ज किया जाना आवश्यक एक न्याययोग्य है पु. श्री
 ने दिनांक 27-9-2018 को तत्काल आना शहर को, मीरपुर गया
 तथा शिक्षा पु. श्री व विनय वगैरह को मर्दा मर्दा की मर्दा हुई तब
 दिनांक 1-10-2018 को पुलिस अधीक्षक मीरपुर एन. डी. आइ. जी मनो
 विनयावल मण्डल को रिपोर्ट आये पु. श्री व विनय मर्दा मर्दा की कार्यवाही

23/10/18

3

महोदय, मुझे ज्ञात है कि 3-11-2016 को पुलिस महानिदेशक उ.प्र. सरकार
लखनऊ को राजस्व डेपुटी से प्राप्त हुए भौता रस्तु कोडों का र्थवाही
महोदय, मुझे ज्ञात है कि विपरीत में बराबर इन कोडों को धामनी ~~सू~~ जान माल
को दे रहे हैं विपरीत में को धामनी ~~सू~~ जान माल की जानकारी
शाहर कोड में मिल रहा है कि न्याय के दित में इन कोडों को
प्रथम सूचना रखी है कि क्या जाना आवश्यक एवं न्यायगत है
पुलिस इलाका में यह जानते हुये कि न्यायगत एवं न्यायगत है
विपरीत में रस्तु कोडों को रस्तु कोडों आर. दर्ज नहीं किया .
न्यायालय द्वारा को सम्बन्धित अपराध में संज्ञान लेने व सुनवाई का
को तथ्यावर निहित है।

अतः निम्न को से प्रवेदन है कि धामनी

शाहर कोडों को धामनी को प्रथम सूचना रखी है कि क्या जाना आवश्यक
कार्यवाही करने हेतु आदेश वास्तव में है. अति कृपा होगी।

प्रमाणित है कि वास्तव में है।

21/11/16
रुकावट
- 11/11/16

001021782014-148/005010/130-
 00 MIRJAPUR PMS PMS COUNTER 4710001
 Counter No: 10/10/2018, 16:04
 To: SP, NIV
 PIN: 031001, Mirzapur 80
 From: STALM, JAKES
 M: 1194
 Att: (1, 00) (Cass)
 Search on www.intelipost.gov.in

सेवा में,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
 श्रीमन्नाडर

प्रार्थना पत्र द्वारा-सुकालू पुत्र लोरीक नि० ग्राम-भोजपुर पहाड़ी, पो०-पहाड़ा, थाना-पडरी
जिला-मीरजापुर।

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि हम प्रार्थी गरीब मजदूर व्यक्ति है तथा जाति का चमार है। प्रार्थी मजदूरी करने के लिए इमली महोदय, थाना शहर को० में विष्णुचन्द, नवीनचन्द व स्वरूपचन्द के यहाँ मकान में मजदूरी कर रहा था कि दिनांक 27.09.2018 को राय 05 बजे के करीब हम प्रार्थी सरकारी हैण्ड पाईप में पानी पीने लगा तभी दिनेश विश्वकर्मा पुत्र स्व० गुलाब चन्द्र विश्वकर्मा, आनन्द विश्वकर्मा पुत्र स्व० गुलाब चन्द्र विश्वकर्मा साकिन इमली महोदय मीरजापुर आ हैण्डपम्प के सामने रहते हैं। मैं पानी खलाकर पी रहा था कि दिनेश आकर मुझे लात से मारा मैं वहीं गिर गया तथा उनका भाई आनन्द व ऋषभ कसेरा पुत्र कृष्णचन्द कसेरा भी पारने लगे और कहा कि चले जाओ चमार तुम हैण्ड पम्प छूकर गंदा कर दिये आज के बाद मत आना इस हैण्ड पम्प पर अब हमस व पानी कैसे पीयेंगे। मैंने कहा कि मेरे छूने से कहा गंदा हुआ तो कहा कि चमार जाति का होकर छूना और बकवास कर रहे हो। तभी उनका भेनर दिनेश कसेरा पुत्र रमेश प्रसाद निवासी पैरिया टोला, थाना कटरा को० मीरजापुर भी आ गये और वे भी मुझे भददी-भददी माधरचोद व बहन चोद की गालियाँ देते हुए कहा कि साले भाग जाओ नहीं तो जान से मार डालेंगे। तब मोहल्ले के लोग जिनके यहाँ हम प्रार्थीगण नवीनचन्द व स्वरूपचन्द आकर थोच बचाव किया तथा कहा कि पानी हैण्डपम्प सार्वजनिक है इस पर पानी पीने से नहीं रोका जा सकता और हम प्रार्थी तब थाना को० शहर गया वहाँ पर बैठे रहे हम प्रार्थी का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया तब हम प्रार्थी जिला चिकित्सालय जाकर अपना इलाज व मेडिकल उरी दिन कराया यह जानकारी होने पर उक्त दिनेश वगै० ने हम प्रार्थी को बराबर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि अगर कोई कानूनी कार्यवाही की तो अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। ऐसी स्थिति में न्याय के हित में हम प्रार्थी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि हम प्रार्थी की रिपोर्ट थाना को० शहर में दर्ज कराने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें। आत कृपा होगी।

दिनांक:- 1-10-18

ह० प्रार्थी

संलग्नक:- जिला चिकित्सालय मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रति।

विषय

निवेदन कि हि प्रार्थनापत्र में ३५
में प्रार्थना संश्लेष होना के सम्बन्ध में
साधन

महोदय

निवेदन कि हि प्रार्थनापत्र में ३५
में प्रार्थना संश्लेष होना के सम्बन्ध में
साधन के सम्बन्ध में यह पाया गया
कि, आन्दोलन प्रार्थनापत्र में जाँचा है
इसी मोड़ सिद्ध हो गया है
जिसे में जाँचा है पाया कि विषय
विशेष विषयों की जाँच से स्वल्प-यन्त्र प्रत्येक
किसी प्रकार के (जिसे के गरीब भावों के मोड़ों
करता है) के साथ सभी सम्बन्धित विषयों में
आ रहा है। दोनों पक्षों में काफी लड़ाई
रहता है। इन्हीं दोनों पक्षों आपस में एक
हुए थे लड़ते रहते हैं। इन दोनों पक्षों में
सम्बन्ध के विषय को लेकर हुए एक पक्ष जिसके
सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा करता है को गान
कुछ कर उकसा दिया कि इसमें सब प्रार्थना
में जाने पर विपरीतों के विषय में सब
वा आभियोग पंजीकृत हो जायेगा। यही लोच
कर आगे के सम्बन्ध में सब के लिए उदाहरण
मैंने कहा लोच व इतना लोच की बात
हुई थी। इसी बात को सब पक्ष कर आगे के
द्वारा प्रार्थना दिया गया। इस सम्बन्ध में
दोनों पक्षों के विषय में 10/11/6 पर की
जाये वाली है - पार्थनापत्र २७.१.१८ ३)

IN The High Court Of Judicature At Allahabad.

A. C. CAVEAT APPLICATION NO. of 2020.

under Rule 13 of The Rules of the Court Read With 148A Civil Procedure Code.

ON BEHALF OF

Sukali Son of Lorik Resident of Village Bhojpur Post Office Pahara Police Station Pahri District Mirzapur, U.P. Caveator-Applicant

IN

Proposed Criminal Misc Writ Petition No. Of 2020

(Under Article 226 of Constitution of India)

District MIRZAPUR

Ramesh Vishwakarma S/O Late Gulab Chand Vishwakarma R/O Imali Mahadev P/S City Kotwali Mirzapur U.P.

Arund Vishwakarma S/O Late Gulab Chand Vishwakarma R/O Imali Mahadev P/S City Kotwali Mirzapur U.P.

Rishabh Kasera S/O Krishchand Kasera R/O Kadamtar P/S City Kotwali District Mirzapur U.P.

Vijay Kewta S/O Ramesh Prasad R/O Pauriy Tola P/S Kotwali Katara District Mirzapur U.P.

Proposed Petitioner

Versus

Sukali Son of Lorik Resident of Village Bhojpur Post Office Pahara Police Station Pahri District Mirzapur, U.P.

The Hon'ble Chief Justice and his other Companion Judges of the aforesaid Court, the humble Caveat Application of The above named Caveator/applicant most respectfully showeth as under:

That the proposed Petitioner may file the proposed writ petition, before this Hon'ble Court, in pursuance of the order dated 21/12/2019.

That the counsel is willing to appear the said writ petition of the admission stage for which he has engaged the undersigned (Sri Brijesh Kumar Advocate High Court chamber no. 175 Allahabad) to received the notice of stay application as well writ petition and to appears the same at the admission stage.

(3) That in view of the aforesaid fact, it is expedient in the interest of Justice that the counsel for the proposed Petitioner may be directed to served a copy of proposed writ petition to the Caveator through his counsel before filing the same in this Hon'ble court.

That the proposed Petitioner has been served with copy of this caveat application by the undersigned.

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble court an opportunity of being heard may kindly be given to the Caveator before passing any order, either on the writ petition or on the application for interim relief, if any, filing by the proposed Petitioner against the order dated 21/12/2019 passed by special judge S.C/s.t. act Mirzapur and further be pleased to direct the proposed Petitioner to serve the copy of the writ petition along with it's annexure to the Caveator in the interest of Justice.

Dated 03/01/2020

Brijesh Kumar advocate

Counsel for Caveator Respondent,
Chamber no 175,
High Court Allahabad.,
Mobile no. 9044901026.



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

Annexure-4



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G-0218 / OA-664/2023/2024

दिनांक:-

Date: 01/03/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी०सी० 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

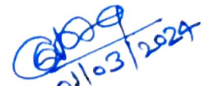
विषय:- मेसर्स रिषभ ट्रेडर्स, मीर साहब की गली, कदमतर, मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-664/2023 अंकुर वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-11.01.2024 के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-28.02.2024 को किये गये निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से संज्ञान में आया है कि मेसर्स रिषभ ट्रेडर्स, मीर साहब की गली, कदमतर, मीरजापुर में संचालित है। उक्त उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में पीतल स्क्रेप का उपयोग कर पीतल के वर्तन के उत्पादन का कार्य किया जाता है। उद्योग में कच्चे माल के पिघलाने हेतु एक मेल्टिंग फर्नेश स्थापित पायी गयी, जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति आदेश प्राप्त नहीं है। उद्योग स्थल के बारे में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मीरजापुर से दूरभाष पर वार्ता की गयी। तत्काल में संज्ञान में आया कि उद्योग का भवन श्री विष्णु चन्द, सरूप चन्द, श्रीकृष्ण चन्द, नवीन चन्द पुत्र स्व० श्रीचन्द अंकित है एवं उक्त फर्म के स्वामी श्री रिषभ कसेरा पुत्र श्रीकृष्ण चन्द हैं। उक्त वार्ता से उद्योग स्थल का प्रयोजन आवासीय होना दृष्टिगोचर हुआ है। आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के अनुमन्य नहीं होने के आलोक में उद्योग के विरुद्ध बन्दी की कार्यवाही होना नितान्त आवश्यक है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मेसर्स रिषभ ट्रेडर्स, मीर साहब की गली, कदमतर, मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय,


(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

H07865/सी-2/वायु-538/गिज़पुर/24

दिनांक

Date 4-3-24

पंजीकृत

मैसर्स रिषभ ट्रेडर्स,
मीर साहब की गली, कदमतार,
मीरजापुर।

यह कि मैसर्स रिषभ ट्रेडर्स, मीर साहब की गली, कदमतार, मीरजापुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में पीतल के स्क्रेप का प्रयोग कर पीतल के बर्तन के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा- 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 01.03.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानसार आपकी इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में पीतल स्क्रेप का उपयोग कर पीतल के बर्तन के उत्पादन का कार्य किया जाता है। उद्योग में कच्चे माल को पिघलाने हेतु एक मेल्टिंग फर्नेश स्थापित पायी गयी, जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति आदेश प्राप्त नहीं है। उद्योग स्थल के बारे में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मीरजापुर से दूरभाष पर वार्ता की गयी। तत्क्रम में संज्ञान में आया कि उद्योग का भवन श्री विष्णु चन्द, सरूप चन्द, श्रीकृष्ण चन्द, नवीन चन्द पुत्र स्व० श्रीचन्द के नाम अंकित है एवं उक्त फर्म के स्वामी श्री रिषभ कसेरा पुत्र श्रीकृष्ण चन्द है। उक्त वार्ता से उद्योग स्थल का प्रयोजन आवासीय होना दृष्टिगोचर हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 01.03.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानसार आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के अनुमन्य नहीं होने एवं आवासीय परिक्षेत्र में स्थापित/संचालित इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना संचालन किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स रिषभ ट्रेडर्स, मीर साहब की गली, कदमतार, मीरजापुर में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग में संचालन/उत्पादन कार्य की बंदी सुनिश्चित रहने हेतु कृपया संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मीरजापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, (नगरीय) मीरजापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com Chemical do-order

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या- H35723/सी-4/0A No-64/2016

दिनांक- 10-05-19

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० सं० 64/2016 एवं एम०ए० सं० 1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम् उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 28.11.2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० सं० 64/2016 एवं एम०ए० सं० 1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम् उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में दिनांक 28.11.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया है

“Even though the present application referred to be the units at Mathura order of the Hon'ble Supreme Court dated 23-09-2013 was for the entire State of Uttar Pradesh. To give effect to the said order, it is essential that the state of U.P. and UPPCB take further steps for other parts of the State and the report.”

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद रिट याचिका सं० 34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा शासनादेश संख्या- सी०एस०/89/9-अ-3-2003-82 रिट/2003 दिनांकित- 05.09.2003 एवं शासनादेश सं० सी०एस०-89(1)/9-आ-3-2003-82 रिट/2003, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 दिनांक 10-11-2003 द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू-उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु निर्देश निर्गत किया गया है तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त याचिका सं०- 34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 एवं मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के उपरोक्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यालय आदेश 35557/सी-4/उ०प्र० शासन/04 दिनांक 16.08.2004 जारी किया गया है।

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special Leave to Appeal (Civil) No (s) . 4295 2011 (M/s Manoj Mini Rice Mill & Ans Vs State of U.P. & Ors. में दिनांक 23.09.2013 को पारित आदेश

“We consider it necessary to observe that the Government of Uttar Pradesh and its officers as also the Uttar Pradesh Pollution Control Board shall take active and effective steps for implementation of the directions given by the High Court in Writ Petition No.

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-Info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

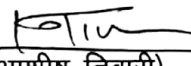
TC. 12V Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

34957 of 2003 – Srimati Mithilesh Jain V. State of U.P. and others and order passed in P.I.L. Writ Petition No. 15432/2010 Smt. Indira Singh vs. State of U.P. and others and ensure that all commercial and industries are shifted out of the residential areas without any delay.”

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक के अनुपालन में आदेशित किया जाता है कि उ०प्र० शासन एवं सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अनुरूप उद्योगों की शिफ्टिंग हेतु सम्बन्धित जनपद के उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण या प्रभारी नगर निगम/अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को प्रकरण तुरन्त कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सम्प्रेषण किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल निर्णय पारित किया जाना सम्भव हो सके।

भवदीय,

संलग्नक : मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति।


(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. समस्त वृत्त अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अनु सचिव, पर्यावरण अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्रांक- 1745/पी०एस०एम०एस०/एस०ओ०-2018 दिनांक- 05.12.2018 के अनुक्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रमुख सचिव महोदय स्तर से शासनादेश निर्गत कराये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना चाहेंगे।


सदस्य सचिव

Item Nos. 1 to 4

Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 64/2016
(M.A. No. 1024/2017)
With
Original Application No. 473/2016
With
Original Application No. 518/2018
M.A. Nos. 1243/2018 & 1244/2018
With
Original Application No. 910/2018

Gopeshwar Nath Chaturvedi

Applicant(s)

Versus

U.P. Pollution Control Board & Ors.

Respondent(s)

With

Kantanath Chaturvedi

Applicant(s)

Versus

U.P. Pollution Control Board & Ors.

Respondent(s)

With

Harish Garg

Applicant(s)

Versus

U.P. State Pollution Control Board & Ors.

Respondent(s)

With

Kunj Bihari Bhardwaj

Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 28.11.2018

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE RAGHUVENDRA S. RATHORE, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE S.P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAKRISHNAN, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

For Applicant(s):

Mr. Rahul Kumar, Advocate
Ms. Savitri Pandey, Advocate
Mr. I.K. Kapila, Advocate

For Respondent (s):

Mr. Rajkumar, Advocate
Mr. Amit Tiwari, Advocate
Mr. Pradeep Misra, Advocate
Mr. S.K. Bhomicharya, Advocate
Mr. Sarthak Chaturvedi, Advocate
Mr. Rahul Khurana and Mr. Dinesh Agarwal,
Advocates

ORDER

1. The issue in these applications is compliance of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 23.09.2013 in SLP (Civil) No. (s) 4295/2011- M/s. Manoj Mini Rice Mill & Anr. Vs. State of U.P. & Ors, directing the implementation of the order of Division Bench of the Allahabad High Court, dated 13.08.2003 in Smt. Mithlesh Jain Vs. State of U.P. & Others (2003(6) AWC 4742, directing the industrial activities in residential areas to be shifted from such areas for protection of environment.
2. On 06.04.2018, the matter was considered by this Tribunal. It was noted that the units working at Mathura in residential area had agreed to shift and from some had actually shifted. The Pollution Control Board had refused consent to operate to many of the units. However, since it was stated on behalf of the applicant that some of the units were still operating, the District Administration, Mathura was directed not to allow the units, which did not have consent to operate or those who were not complying with the environmental norms to operate. The District Administration was to disconnect the electricity and water supply and file a status report.
3. Accordingly, status report has been filed on 26.04.2018 by the District Magistrate, Mathura to the effect that out of 77 units which were operating, consent to operate had been declined to 26 units. Electricity and water supply connection of all the 77 units were disconnected. Further, affidavit was filed in response to an application filed by the units for permission to operate stating that in spite of furnishing of an undertaking to shift, switch over to ZLD and not to use cyanide, the units were acting in breach of the undertaking. The ETPs were non- functional. The untreated effluent was being discharged in river Yamuna through open storm water drain. The units are of red category, as per classification by the CPCB. The use of cyanide based technology was prohibited by CPCB, vide order dated 18.08.2017. Such units cannot, thus, be allowed to operate as was the prayed by the said units claiming that they were compliant.
4. We have heard the learned counsel for the parties.
5. Learned counsel for the applicants submitted that even though the administration claims to have closed the units and disconnected the water and electricity, some of the units are still illegally functioning. The list of such units

has been filed in O. A. No. 910 of 2018. In these circumstances, Sh. I. K. Kapila, learned counsel for some of the applicant in the said matter has handed over a format of undertaking, prescribed in proceedings in the Hon'ble Supreme Court to deal with an identical situation in M. C. Mehta Vs. UOI & Ors. WP(C) No. 4677 of 1985,(2004)6 SCC 588. Undertaking is, inter-alia, as follows:

5. *"That, I/We seek restoration of electricity/water connection/desealing of the said premises of the purpose of:*
 - (i) *Removal of Machinery and other related items of industrial activity being carried out in the premises.*
 - (ii) *That I will inform in writing to the DCI(Policy) in Department of industries details of disposal of machinery with self-attested documents within 7 days of desealing of my premises by the SDM. Para 5 is modifying the language as may be applicable to the fact situation.*
 - (iii) *I intent to shift my plant and machinery to the new place in conforming industrial area as located at..... And a self-attested photocopy of the documents as proof of ownership and rent receipt etc is enclosed.*
6. *That, I/.We undertake not to carry out any activity in the existing premises after it desealed and this premises will be used only in a conforming manner."*

6. Learned counsel for the State of UP as well as learned counsel for UPPCB supported the above stand of such an undertaking being required for restoring the electricity/water connection in respect of the said units.

7. Learned counsel for the State/UPPCB also submit that the industries have been shifted to Jai Singh Pura which is also known as Guar Kendra which is an industrial area as per applicable master plan. It has been further stated that out of 77 units 7 units were not found at the location/address, 50 units have been shifted/ closed and 20 units were though consent was rejected and appeals against refusal of consent were dismissed. The said units have filed O. A. NO. 518 of 2018.

8. **In view of the above, we pass the following orders:**

- (i) The application- O. A. NO. 518 of 2018 is dismissed.
- (ii) Any unit out of 77 units in question, seeking restoration of water /electricity connection/ desealing will be required to furnish an undertaking in terms of para 5 herein above to the extent applicable in a fact situation, before the District Administration..
- (iii) The UPPCB and all other concerned statutory authorities will ensure that there is no violation of environment laws at Jai Singh Pura industrial area. In this regard, a Joint Inspection be carried out of the said

area by the representatives of the UPPCB and CPCB within one month from now. The deficiencies found, if any, may be addressed to the satisfaction of the CPCB. This area should have proper infrastructural facilities like CETP, TSDF, as required under the law.

(iv) It is made clear that if any DG set is operating to facilitate any of the above units, such DG sets may be seized by the District Administration on 'Precautionary Principal'.

(v) If unit which is operating in the residential area, the Administration may dis-mantle the tank and machinery may be removed.

9. Even though the present application referred to the units at Mathura, order of the Hon'ble Supreme Court dated 23-09-2013 was for the entire State of Uttar Pradesh. To give effect to the said order, it is essential that the State of UP and UPPCB take further steps for other parts of the State and the report in this regard is furnished to this Tribunal within three months.

10. All these applications i.e. O.A. 64/2016(M. A. NO. 1024/2017), O.A. NO. 473/2016, O.A. No. 518/2018(M. A. NO. 1243/2018 & .A. NO. 1244/2018) and O.A. No. 910/2018 are disposed of, except for consideration of the report which may be furnished.

11. List the matter for consideration of the report in 2nd week of May, 2019 and same may be treated as a separate matter.

Adarsh Kumar Goel, CP

Raghuvendra S. Rathore, JM

S.P. Wangdi, JM

K. Ramakrishnan, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

November 28, 2018

jpg



150
क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

Annexure-8



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G-0219/ OA-664/2023/2024

दिनांक:-

Date: 01/03/2024

सेवा में,

अधिकासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद मीरजापुर,
जनपद-मीरजापुर।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-64/2016 एवं एम०ए० संख्या-1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में पारित आदेश दिनांक-28.11.2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-H35723/सी-4/O.A.No. 64/2016 दिनांक-10.05.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या-64/2016 एवं एम०ए० संख्या-1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में पारित आदेश दिनांक-28.11.2018 का अनुपालन कराया जाना वर्णित है। आबादी क्षेत्र में स्थापित/संचालित उद्योगों की शिफ्टिंग हेतु मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० संख्या-64/2016 एवं एम०ए० संख्या-1024/2017 गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक-28.11.2018 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"If unit which is operating in the residential area, the Administration may dis-mantle the tank and machinery may be removed."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु आबादी क्षेत्र में स्थापित/संचालित उद्योगों की शिफ्टिंग हेतु सम्बन्धित जनपद के उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण या प्रभारी नगर निगम/अधिकासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत को प्रकरण तुरन्त कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सम्प्रेषण किये जाने के निर्देश बोर्ड के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक-10.05.2019 द्वारा प्राप्त है।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-664/2023 अंकुर वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स रिषभ ट्रेडर्स, मीर साहब की गली, कदमतर, मीरजापुर के आवासीय क्षेत्र में संचालित होने के कारण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरिसंदर्भित आदेश 28.11.2018 के आलोक में शिफ्टिंग हेतु अग्रिम कार्यवाही किये जाने की संस्तुति आपको प्रेषित की जा रही है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी
०१/०३/२०२४

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
०१/०३/२०२४